एक ऐतिहासिक सिंहनाद

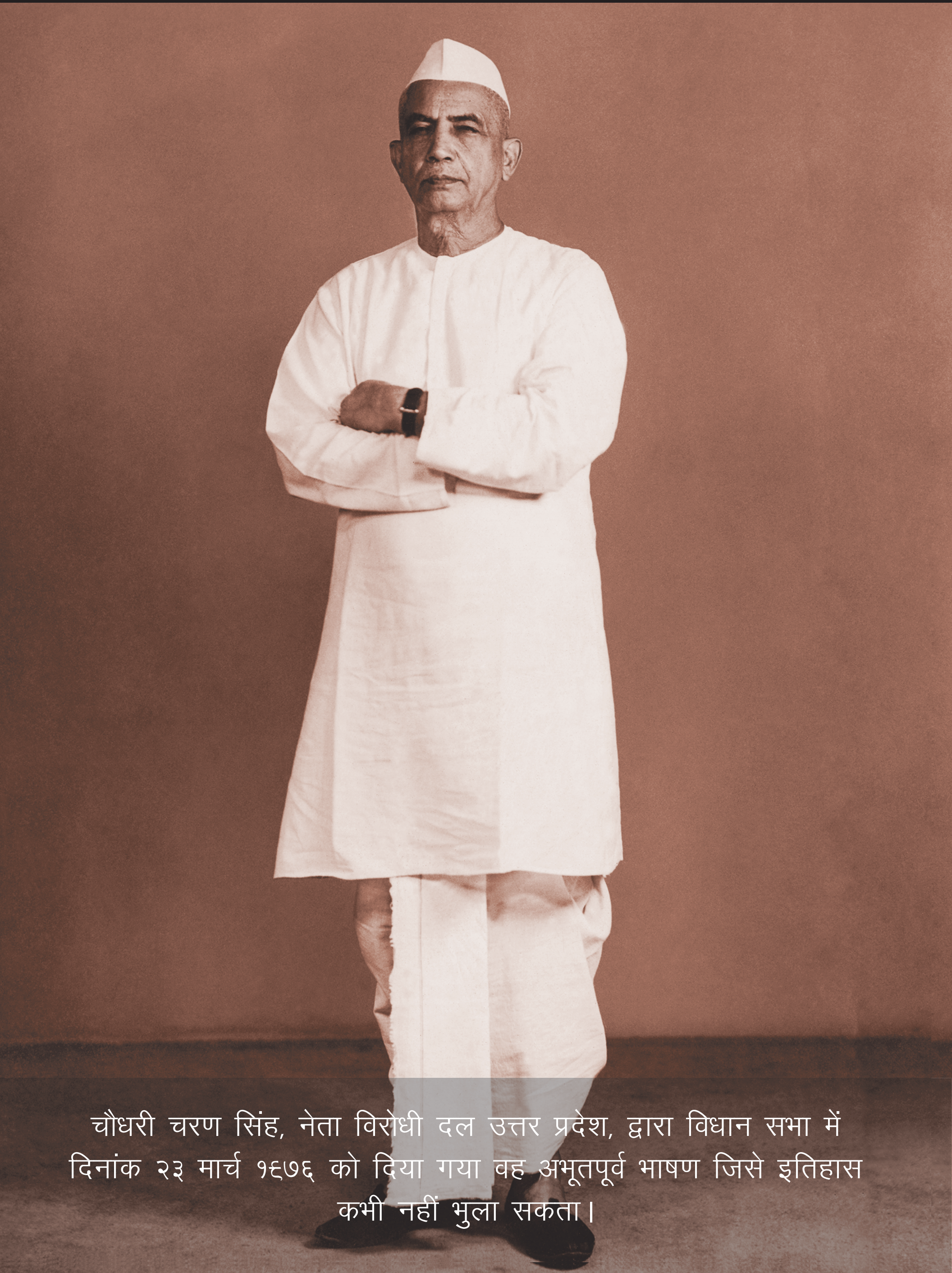

चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश, द्वारा विधान सभा में दिनांक २३ मार्च १९७६ को दिया गया वह अभूतपूर्व भाषण जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता।

एक ऐतिहासिक सिंहनाद

२३ मार्च १९७६

चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश, द्वारा विधान सभा में दिनांक २३ मार्च १९७६ को दिया गया वह अभूतपूर्व भाषण जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता।

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

१ सितम्बर २०२०

विषय सूची

एक ऐतिहासिक सिंहनाद १

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने २५ जून १९७५ को गैर–संविधानिक इमरजेंसी (आपातकाल) की घोषणा कर हिंदुस्तान के मुख्य राजनयिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंदी बना लिया। स्वतंत्र हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए यह सबसे संकटपूर्ण तथा दुखद घटना रही है। बरहाल, ८ महीने की जेल कैद के पश्चात् ७ मार्च १९७६ को चौधरी चरण सिंह तिहाड़ जेल (दिल्ली) से रिहा हुए। २३ मार्च १९७६ को वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपातकाल व्यवस्था और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ चार घंटे खड़े होकर गरजे, परन्तु सेन्सर व्यवस्था के कारण एक भी शब्द प्रकाशित नहीं हो सका। इस समय चौधरी साहब ७४ वर्ष के थे, लेकिन बब्बर शेर से कम नहीं थे।

चौधरी साहब के साथ तिहाड़ जेल में ४८

परमात्मा नन्द सिंह जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे, आपातकाल में कॉंग्रेस सरकार के बंदी रहे और इनमें से ४ महीने चौधरी चरण सिंह के साथ तिहाड़ जेल में काटे। उनकी यह यादगार देशभक्त मोर्चा द्वारा १९७८ में प्रकाशित 'परन्तप' के पृष्ठ २०५–२१२ में छपी थी।

एक ऐतिहासिक सिंहनाद[1]

अध्यक्ष महोदय,

आज जो वाद–विवाद होने जा रहा है वह इस समय बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता हैं। यह दूसरी बात है कि इसमें भाग लेने वाले लोग इस प्रश्न का सामञ्जस्य कर सकें या न कर सकें, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हिन्दुस्तान के भविष्य के सिलसिले में इससे ज़्यादा संकट का समय गालिबन कभी नहीं आया और न आयेगा ही। पेश्तर इसके कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे कहना शुरू करूँ, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी[2] से और दूसरे सभी साथियों से जो सत्तासीन हैं, एक बात कहना चाहँगा कि मेरी यह कोशिश होगी कि मैं उनसे दिल से बात करूँ; लेकिन मसला ऐसा है कि हो सकता है मुझे कहीं–कहीं आवेश आ जाये और कठोर शब्द मेरी जबान से निकल जाये, जिनको यद्यपि मैं कोशिश करूँगा न कहूँ, उनको कहने के लिए वह मुझको माफ करने की कृपा करें।

आज देश की क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि लाखों आदमी जेल के अन्दर हैं। सन् १९४२ का आन्दोलन गाँधी जी के ज़माने के आन्दोलनो में गालिबन सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है; लेकिन उसमें कुल ६० हज़ार आदमी जेल गये थे। उस समय के होम मिनिस्टर के वक्तव्य के अनुसार, जो उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में दिया था, केवल इतने आदमी जेलों में बन्द कर दिये गये थे। आज श्री ओम मेहता के अनुसार एक लाख तीस हज़ार आदमी इस बार गिरफ्तार किये गये हैं। आप उसको एक लाख बीस हज़ार मान लीजिये या घटाकर एक लाख ही कर दीजिए, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा (अंग्रेजी काल की गुलामी के ज़माने से कहीं ज़्यादा) आदमी इस बार जेलों में गये हैं। आप बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से निकाल लीजिये तब शायद आपको तसल्ली हो जाय। यह देश की बदकिस्मती है कि ऐसा हिसाब लगाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और लाखों

---

[1] 'एक ऐतिहासिक सिंघनाद', चौधरी चरण सिंह, पृष्ट १५५–१८४. परन्तप, देशभक्त मोर्चा, १९७८ उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही, पृष्ट ९६–१२६, खंड ३२०, अंक २, मंगलवार ३ चौत्र, शक संवत १८९८ अर्थात २३ मार्च १९७६ ई.

[2] श्री नारायणदत्त तिवारी उस दौरान (२१ जनवरी १९७६ से ३० अप्रैल १९७७) उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री थे।

आदमी या एक लाख आदमी आज़ाद देश में जेलों में पड़े हुए हैं।

पहले प्रधानमन्त्री जी कम्युनिस्टों की भाषा में जनतंत्र को सोशल डेमोक्रसी [सामाजिक लोकतंत्र] कहा करती थीं कि संविधान में बड़े भारी संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन अब केवल डेमोक्रसी [लोकतन्त्र] कह रही हैं और कह रही हैं कि हम डेमोक्रसी के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और संविधान में ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत नहीं हैं। किन कारणों से उनके कथनों में तबदीली आ गई है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें शक नहीं है कि आज डेमोक्रसी का दम भरा जा रहा हैं। दूसरी ओर एक लाख से ज़्यादा आदमी जेल में हैं। वे किस तरह जेल में डाले गये हैं। महीनों उनके परिवार को यह नहीं मालूम हो पाया कि वे कहाँ बन्द किये गये हैं। २६ जून को सबेरे मुझे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के बड़े आदमियों की बात छोड़िये, क्योंकि आज तो शायद प्रधानमन्त्री जी बड़ी हैं; चूँकि वह बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन ऐसे आदमी जिन पर देश गर्व कर सकता है, वे गिरफ्तार हुए और उनके घर वालों को यह नहीं बताया गया कि कहाँ वह कैद किये गये हैं। तीन चार मर्तबे मैं अंग्रेजों के ज़माने में जेल गया हूँ और उस ज़माने की सारी बातें मुझे याद हैं। कभी अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं कि दो महीनों तक गिरफ्तारशुदा लोगो के अज़ीज़ों, उनके बच्चों, उनके घर वालों से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया, न उनको यह ही बतलाया गया कि क्या जुर्म उनसे हुआ हैं।

माननीय जयप्रकाश नारायण जी का, माननीय मोरारजी देसाई का और लोकसभा की डिबेट में एक बार माननीय राजनारायण जी का भी ज़िक्र आया कि इन्होंने अमुक पाप किया हैं। मैं रोज़ पढ़ता रहा कि मेरे पाप का भी ज़िक्र शायद इसमें आवेगा। नहीं, कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। दोस्तों ने पढ़ा होगा, मुझे खुशी होगी जानकर। इस बार ज़रूर मेरा पाप था कि इन्दिरा जी से हम लोग इस्तीफ़ा मांग रहे थे। क्योंकि हाईकोर्ट से आप हार गयीं थीं, इस लिए इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को शोभा यह देता है कि वह इस्तीफ़ा दे। जून माह में दिए हुए मेरे बयान दिल्ली के कुछ अख़बारो मे प्रकाशित हुए। मैं जानने का बहुत प्रयास करता हूँ, तो मैं इन वक्तव्यो का ही अपना जुर्म पाता हूँ। खेर मेरा यह जुर्म हो सकता हैं। लेकिन सैकड़ों, हज़ारों ऐसे लोग है जिन बेचारों ने कोई बयान भी नहीं दिया, फिर भी उन्हे जेल में डाल दिया गया। नज़रबन्दी के क्या कारण हैं. गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, यह उनको नहीं बताया गया। हाईकोर्ट में कोई चला जाय और जानने की कोशिश करे कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या अभियोग है तो हाइकोर्ट से भी नहीं बताया गया। यही नहीं

मेण्टीनन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट में, जिसको मीसा भी कहते हैं, संशोधन कर दिया गया। मुमकिन है संविधान में किया हो, लेकिन मीसा कानून में तो संशोधन ज़रूर है कि हाई कोर्ट अगर स्वयं चाहे तब भी उसको यह अख्तियार नहीं कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने का कारण गवनमेंट की नज़रो में क्या है, मालुम कर सकें। इससे ज़्यादा तानाशाही, स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता इतिहास में कहीं मिलेगी? और फिर मुझको अफसोस होता है कि ऊपर जो दोस्त बैठे हैं वे लोकतंत्र का दम भरते हैं और आँख मींच कर हाथ उठाते रहते हैं; खैर इस सिलसिले में और अधिक कहना व्यर्थ हैं। इस बात को यहीं छोड़े देता हूँ।

दूसरी बात जो हर आदमी को खटकेगी, यह है कि सारे मौलिक अधिकार, जो कि एक नागरिक के होते हैं, सब निलम्बित हैं। मान लो मैं आज जाना चाहूँ पंजाब, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप पंजाब नहीं जायेंगे। अब पंजाब जाने का अधिकार या बंगाल जाने का अधिकार या किसी तरह का व्यापार करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रतायें होती हैं, वह सभी ले ली गयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पंजाब क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? परन्तु कोई बताने की ज़रूरत नहीं हैं। यही नहीं, पंजाब जाने की बात छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शूट कर दे [गोली मार दे] या बदला निकालने के लिए सब–इंसपेक्टर शूट कर दे और गोली खाने वाला व्यक्ति बच जाये, तो उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह कचहरी में जाकर मालूम कर सकें कि उस पर गोली क्यों चलायी गयी? और मर जाय तो उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वह जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ? आपके एटार्नी जनरल ने हैवियस कारपस की बहस के समय सुप्रीम कोर्ट में यह स्वयं तसलीम किया हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इतिहास में कोई और मिसाल है?

अध्यक्ष महोदय! पुलिस को कितने अधिकार है–जो चाहें कर दे, ऐसे हक हैं। सारे अधिकार उनको दे दिए गये हैं। यदि आपको नागरिकता के सारे अधिकार लेने ही थे और व्यक्तिगत आज़ादी को जब्त करना ही था, तो पावर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप बड़े से बड़ा संगीन मामला होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कह लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई (राहत) नहीं हैं। किसी भी सब–इंसपेक्टर को या पुलिस वाले को सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा कैसे मिलेगी? आपकी गवर्नमेंट उन्हीं के बल पर चल रही हैं।

मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथी इत्तफाक करेंगे कि नहीं लेकिन मैं

तिहाड़ जेल में जब दिल्ली की पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनता था तो मैं बार–बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ़ करता था। मैंने वाराणसी जेल में अपनी पार्टी के एक सज्जन को उनके ख़त के जवाब में लिखा था कि दिल्ली की पुलिस बिल्कूल बेलगाम हैं। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल नहीं हैं। जैसा मैंने उनको सन् १९६७ में और सन् १९७० में देखा था, मुझे कोई शिकायत यहाँ का पुलिस से नहीं थी। देश की बरबादी के लिए नौकरशाही बहत कुछ ज़िम्मेदार है, लेकिन इतना नहीं जितना कि राजनीतिक नेतागण। क्या हुआ इस पुलिस को? अब मैं बाहर आया हूँ। मुझे पुलिस की बर्बरता के कुछ कस्से सुनाए गये। अन्त में ज़िम्मेदार नारायणदत्त तिवारी जो आप और आपसे पहले हमारे एक दो बड़े अच्छे–अच्छे व्याख्यान देने वाले थे, ज़िम्मेदार हैं। दूसरे महकमों में मिनिस्टर के काम करने के ढंग का इतनी जल्दी असर नही पड़ता है, जितनी जल्दी होम मिनिस्टर के रवैये का असर पुलिस वालों पर पड़ता हैं।

जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ जो बर्ताव हुआ है वह अच्छा नहीं था, बमुकाबिल, दिल्ली हरियाणा और पंजाब के जैसी इत्तिला मेरे कान तक तिहाड़ जेल में आती थी। मैं समझता हूँ कि वह सब कृपा है बहगुणा जी की। मुझे माफ करेंगे वह। आज उन्हें हाउस में होना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि वे इसका प्रतिवाद कर सकेंगे या नही। सुना है कि बरेली जिले के जिला परिषद की एक मीटिंग में गये हैं। वहाँ उन्होंने इन राजनीतिक बन्दियों के बारे में कहा, जो उनके मुखालिफ हैं कि जेल में जो ऐसे लोग पड़े हैं (कम्बख्त और क्या–क्या कहा) उनसे अगर मेरा बस चलता तो मैं पत्थर तुड़वाता और गंगा और यमुना की रेत छनवाता। हम उनके या आपके दुश्मन हैं, क्योंकि हम आपसे मतभेद रखते हैं। इसका अन्त कहाँ जाकर होगा? हमारी क्या नीतियाँ होंगी इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई पाप नहीं हैं। आपके और हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, लेकिन यह क्या कि जो आपसे मतभेद रखते हैं, वह देशभक्त नहीं हो सकते? वे देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। मैं यह कह रहा था कि आपके दृष्टिकोण का असर पुलिस पर और सारे प्रशासन पर पड़ेगा। बरेली मे, आगरे में और अलीगढ़ में जो अत्याचार हुए हैं, वह मैं थोड़े से आपको सुनाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बरेली की बात सुनाता हूँ। वहाँ पर एक रमेश आनन्द नाम का छात्र था, जो एम० एस–सी० प्रथम वर्ष (मैथमेटिक्स) का विद्यार्थी था, जिसकी उम्र २३ वर्ष थी। उसे २८ अक्तूबर सन् १९७५ को घर से सर्किल इंसपेक्टर कोतवाली ने बुलाया और सायं ६ बजे

से रात्रि २ बजे तक उसको पीटा। दोपहर दो बजे बन्दी बनाया गया। ४ बजे एक दूसरे लड़के वीरेन्द्र अटल को घर से लाया गया और शाम ४ बजे से ही दोनों से एक साथ पूछताछ की गई। साइक्लोस्टाइल मशीनों के बारे में गालियों की बौछार करते हुए उनसे पूछा गया और बताने से इन्कार करने पर उनको पीटना शुरू कर दिया गया। बाद में जिलाधीश श्री माताप्रसाद जी भी आ गये। उनको देखकर पीटने वालों की हिम्मत और बढ़ गई। बजाय कम होने के और क्षमा याचना का रवैया अख्तियार करने के डी० एम० की आँख बतला रही थी कि ठीक कर रहे हो और रस्सी से हाथ बाँधकर पीटना शुरू कर दिया गया। पीटते पीटते ४ बेंत तोड़ डाले गये, परन्तु दोनों में से किसी ने भी अपना मुँह नहीं खोला। यह देखकर लहीम–सहीम हाकिम राय इन्स्पेक्टर का क्रोध और भड़क गया। डी० एम० को खुश करने का उसे अच्छा मौका नज़र आया। अतएव बिजली के लास से रमेश आनन्द के हाथ का अंगूठा बड़ी क्रुरता से दबाया। खून की धार बह चली। इसके बाद उसी से अंगुली दबायी और बहुत ही बेजा–बेजा गालियाँ दी। इसके बाद उसने वीरेन्द्र अटल के हाथ की एक–एक कर चार अंगुलियाँ लहू–लुहान कर दी और कहा सब नाखून खींच लूँगा, नहीं तो बताओ कहाँ रहता है प्रचारक, कहाँ होता है साइक्लोस्टाइल आदि। जब नाखूनों को प्लास से दबाने पर वे कुछ नहीं कर पाये तो जमीन पर '(मौजदा गवर्नमेंट से मतभेद करने की यह हिम्मत)' कहकर पटक दिया गया और पैर ऊपर करके बेंतों से इतनी पिटाई की कि तीन बेंत और टूट गये। दोपहर से लेकर अगली दोपहर तक चाय भी नहीं पिलायी गयी, भोजन तो दूर रहा। २६ अक्तूबर को दोपहर पैदल चलाकर और हथकड़ी डालकर जेल भेज दिया गया। जेल में सब कैदियों की माँग पर २६–३० अक्तूबर सन् १६७५ की रात में दोनों की डाक्टरी जाँच हुई, जिसमें प्रत्येक के शरीर पर ग्यारह चोटें दर्ज की गयीं। इतना घोर अमानुषिक अत्याचार किया गया।

चेतराम को तो इतना मारा गया कि पिटते–पिटते उसकी मृत्यु ही हो गयी। इनकी फोटो भी मौजूद हैं। इनकी कहानी सुन लीजिये। व्यवसायी। उम्र ४० वर्ष। काली बाड़ी, बरेली। २३ नवम्बर सन् १६७५ को सत्याग्रह, थाना किला के इंस्पेक्टर रणविजय सिंह द्वारा पिटाई और मृत्यु। २३ नवम्बर सन् १६७५ को चेतराम ने अपने एक साथी शिवनारायण के साथ सत्याग्रह किया। थाना किला के इंस्पेक्टर रणविजय सिंह ने थाने ले जाकर लात–घूसों और और डण्डों से बहुत पिटाई की जिससे चेतराम के शरीर में बहुत मार्मिक चोटे आयीं। बाद में उन्हें जिला जेल बरेली भेज दिया गया जहाँ चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इस प्रकार

अपनी चोटों की असहनीय पीड़ा के कारण १२ दिसम्बर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया और शहीदों में अपना नाम लिखा लिया। तानाशाही के नंगे नाच का यह एक नमूना हैं। ज्ञानेन्द्र देव, छात्र बी० एस० सी० प्रथमवर्ष, बरेली कालेज, उम्र १६ वर्ष, उनका एक दूसरा साथी था जिसकी उम्र २२ वर्ष थी और एक अध्यापक तीसरा। इन तीनों ने बरेली कालेज में एक साथ सत्याग्रह किया। थाना वारादरा के इस्पेक्टर श्री शैलेन्द्रनाथ घोशाल ने थाने में ले जाकर उनकी बहुत पिटाई की और उनसे तरह–तरह की पूछताछ की। पर इन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया। झक मार कर उनको जेल भेज दिया गया। विश्वबन्धू नाम के एक अन्य साथी भी थे उनको मैं अब छोडे देता हूँ।

अब जिला पीलीभीत के उत्पीड़न की बात सुनिये। पीलीभीत में पुलिस शासन ने अपना आतंक फैला रखा था। वहाँ के पुसिल इंस्पेक्टर श्री गौड़ और श्री तिवारी ने घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत में सत्याग्रह नहीं होगा। अब इसको साबित करना था कि सत्यागह नहीं हुआ। परन्तु सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों की बेहयाई से पिटाई की गयी।

आगरा डिवीज़न की पिटाई सम्बन्धी बहुत सी घटनायें हैं लेकिन केवल दो सुनाता हूँ। एक डाक्टर हैं अलीगढ़ के श्रीनिवास पाली, उनको अपने घर पर पकड़ा गया आर पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ उन्हें एक दरख़्त पर पैर ऊपर करके लटका दिया गया, पैर ऊपर सर नीचे। और इस तरह से उनको दो दिन तक पीटा गया। एक लड़के का तो लोहे की सलाखों से पीटा गया। २८ नवम्बर को श्री तेजसिंह तथा उनके ६ साथियों को जो अतरौली के रहने वाले हैं, पुलिस लाइन अलीगढ़ में ले जाकर पीटा गया और उनको पीने के लिए पानी के बजाय पेशाब दिया गया। एक बूढ़ा किसान ज्ञानसिंह था, उसे इतना पीटा गया कि दाँत टूट गए। और इन सब लोगों से यह भी कहा गया कि तुम अपने जूतों से खुद अपने आपको पीटो या एक दूसरे के जूते से एक दूसरे को पीटो। बालासिंह नाम के व्यक्ति का इतना पीटा गया कि २६ दिसम्बर सन् १६७५ को जेल में जाकर उसका इन्तकाल हो गया। १८–१६ दिसम्बर, सत्याग्रह हुआ था। इसी तरह से मथुरा में सिरोहा और डी० वी० चौधरी को खूब पीटा गया। पहली दिसम्बर को रामप्रसाद और उसके दुसरे साथी जो बनारसीपूल के रहने वाले है, उनको बल्देव पुलिस स्टेशन के तोमर और त्यागी नाम के पुलिस अफसरो ने खूब पीटा। इतनी पिटाई का उनके मूँह और नाक से खून बहना शुरू हो गया। पत्रकार हैं नाम है देवनन्दन कुदेशिया काफी लोग जानते हैं। उनकी पिटाई की जाती है और तब तक पिटा गया कि आखिर बेहोश हो गये। बुलन्दशहर के कई मामले

हैं लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन कानून अपनी जगह पर हैं। कानून के खिलाफ कछ नहीं हो सकता। कानून के माने यह नहीं हैं कि नाखून खीच लिया जाय और पेशाब पिलाया जाय और लगातार पिटाई की जाय। यह बात नहीं है कि इसकी सूचना ऊपर के अफसरों को न हो।

मेरे साथियों ने मुझे तफसील में बताया है कि उन्हें डी० एम० को लिखा एस० पी० को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल ही मेरे पास देवरिया के कुछ लोग आये। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना कारण उन्हें बन्द कर दिया था। डी० आई० जी० के पास गए, शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला वे लोग कह रहे थे कि अब मीसा में बन्द करने का इरादा हैं। मैंने कहा लिखकर दे दो, नारायण दत्त जी मेरे साथी रहे हैं उनसे कहूँगा, लाये शाम को लिखकर, मैंने कहा कि आज मेरी तबियत कुछ अच्छी नहीं हैं। वैसे भी मैं मशगूल रहूँगा; २४—२५ को मिलता। पुलिस वालों की यह हिम्मत है, क्यों है? क्या पुलिस इस देश की मालिक है या आप लोग हैं? यह पुलिस का हाल हैं। मैं तो नहीं कहता कि उनका दोष हैं। वह तो एक मशीन है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर लीजिए, उसी तरीके से काम करेगी जैसा आपका दृष्टिकोण होगा।

काँग्रेस पार्टी पावर में हमेशा रहना चाहती हैं। अगर कोई कुछ कहने की हिम्मत करता है, तो वह देश का दुश्मन कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता हैं। विरोधियों के साथ दुनिया में 'देशद्रोहियों' जैसा बर्ताव डेमोक्रेसी [लोकतन्त्र] में नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप [तानाशाही] में किया जाता हैं। वैसा ही बर्ताव यहाँ किया जा रहा हैं।

अब मजिस्ट्रेटों के विषय में सुनिए। मजिस्ट्रेट पुलिस पर निर्भर हैं, जैसा पुलिस कहेगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। खुद वे अपना कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो सुपरिन्टेन्डेन्ट कहेगा वही मजिस्ट्रेट करेगा। हाँ, एक—दो मजिस्ट्रेट ऐसे भी हैं, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट क्या कहता है, उसकी परवाह नहीं करते। अगर आप इनाम दे सकें तो मैं आपको नाम बताऊँ। लेकिन अधिकाँश लोग ऐसे हैं, जो पुलिस के कहने के मुताबिक ही काम करते हैं। फिर मजिस्ट्रेटों की ज़रूरत ही क्या है? पुलिस वाले ही मुकदमा चलाये और जो चाहें करें। एक युवक सब—इंसपेक्टर एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करने आया। वह युवक उनका विद्यार्थी रह चुका था। प्रोफेसर का नाम बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन उन जैसा ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल हैं। वह यूनीवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सब—इंसपेक्टर ने उनके पैर छुये और कहा कि गुरु जी आज हम आपको गिरफ्तार करने आये हैं। वह बोले क्यों? उसने कहा कि हुक्म हैं। उन्होंने कहा मेरा क्या

कुसूर है? उसने कहा कि यह मैं नहीं जानता। प्रोफेसर तिहाड़ जेल में गये। मुकदमा पेश हुआ। धीरे–धीरे उस युवक सब इसपेक्टर के मन पर सच्चाई हावी हो गयी और उसने अदालत में कह दिया कि मामला झूठा है, परन्तु प्रोफेसर साहब की फिर भी रिहाई नहीं हुई।

रोज़ाना क्या किस्सा होता था कि जेल से लोग छूटते थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिए जाते और दूसरे या तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा पेश हो जाता कि अमुक कोने पर ३० आदमी इकट्ठा थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट निकम्मी हैं। इस तरह वह फिर गिरफ्तार कर लिए गये। पुलिस का कहना था कि वह छूटते ही व्याख्यान देते थे। शेसन जज आर्डर करता, तो उनको रिलीज़ [रिहा] करना पड़ता। फिर बाहर आया, फिर केस बना दिया गया। एक व्यक्ति को पुलिस ने तीन दिन हवालात में रखा, कि पुलिस अफसर के यहाँ शादी थी। फिर वह मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर किया गया। मजिस्ट्रेट ने अपनी मज़बूरी ज़ाहिर की और सज़ा का हुक्म सुना दिया। परन्तु मजिस्ट्रसी की कौन कहे। सुप्रीमकोर्ट के जज के साथ क्या बर्ताव नहीं किया गया? वहाँ जिस तरह से कन्फरमेशन [स्थायीकरण] और प्रोमोशन [पदोन्नति] होते हैं, वह भी मिसाल हैं। सन् १९७३ की बात है; एक फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ होता हैं। तीन न्यायाधीश उस फैसले के देने में शामिल थे। उन तीनों को सुपरसीड कर दिया जाता हैं। क्या वह नाकाबिल थे, यह नहीं बताया जाता है और एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सुपरसीड किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को ऊपर रखा गया, जो हर प्रकार से जूनियर था, उसका असर पड़ना ज़रूरी है, उसका असर न पड़े यह मुश्किल है और पंजाब हाईकोर्ट में भी यही हुआ कि एक सीनियर जज को जिसको सारा बार, सारे वकील इज़्ज़त करते हैं, सुपरसीड किया गया और नियुक्ति उस जज की की गई, जिसका फैसला गवर्नमेंट के माफिक हुआ करता था, मैं जजो की शान के खिलाफ नहीं कहूँगा, लेकिन फैसला गवर्नमेंट के माफिक होता था, इसलिए उनका प्रमोशन हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जज रगनाथन तथा अग्रवाल हैं। ऐसा इत्तिफाक है कि इनके तीन–चार जजमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। कुलदीप नैयर, जो स्टेस्मन के सम्पादक रह चुके हैं, विख्यात पत्रकार हैं; उन्होंने कई किताबें लिखीं हैं, जिनमें ऐसी बातें लिखी हैं, जिनसे इन्दिरा जी खुश नहीं हो सकतीं। इसलिए उनको जेल भेज दिया। अगस्त में मुलाकात खुल गयी थी। मैं फाटक पर गया था, तो उनसे मुलाकात हो गयी। उनका कसूर यह था कि सच्चर साहब

जो कॉंग्रेस लीडर थे, उनके वह दामाद हैं। सच्चर साहब ने इन्दिरा जी को यह पत्र लिखने की जुर्रत की कि आपने जिस तरह से इमरजेंसी लगायी है और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं हैं। इस पर पुनः विचार करें। सच्चर साहब शायद उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं। बस उनके लिखने से इन्दिरा जी नाराज़ हो गयीं। उनको जेल भेज दिया गया। ससुर को जेल और दामाद को भी जेल। जिस दिन मैं फाटक पर गया था, उस दिन उनकी बहू मुलाकात करने आयी थी। यह मज़ाक भी अच्छा रहा। मैंने उनसे कहा कि घबराना नहीं, सच्चर साहब को तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ घबराती हूँ। ससुर और दामाद साथ–साथ रहेंगे। ससुराल में आ गये हैं। बाद में सच्चर साहब को छोड़ दिया गया। कुलदीप नैयर साहब ने हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी। वह इस बेंच के सामने आ गई। गवर्नमेंट के वकीलों ने बेंच का रुख भाँप लिया। पेस्तर इसके कि रिहाई का आर्डर दे सकें, गवर्नमेंट को रिलीज़ [रिहा] करने का आर्डर देना पड़ा, इसलिए कि ऐसा न करने पर बदनामी होती। एक दो और केस इसी प्रकार के हुए। आर० एन० अग्रवाल का कन्फरमेशन [पुष्टिकरण] होना चाहिए था। लेकिन उनके दो जूनियर व्यक्तियों का प्रमोशन [तरक्की] किया गया और उनको सुपरसीड करके डिस्ट्रिक्ट जजी पर वापस कर दिया गया। हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के बार ने एक रिजोल्यूशन [प्रस्ताव] पास किया। इनको किस बात की सज़ा मिली। जूनियर आदमी को कन्फर्म [स्थायी] किया गया और सीनियर आदमी को सुपरसीड किया गया। मुझको एक एडवोकेट ने बताया। मैंने एक एडवोकट साहब को बुलाया था। में रिट पिटीशन फाइल करना चाहता था, ताकि जो विधायक जेल में हैं, उनको राज्य सभा के विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने की पूरी सहूलियत दी जा सकें। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आज एक रिजोल्यूशन पास किया है और डेपुटेशन लेकर इन्दिरा जी के पास जा रहे हैं। फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम, क्या हुआ; लेकिन मैंने सुना यह है कि कोई नतीजा नहीं निकला। कई और जजों के साथ भी यही बर्ताव हुआ हैं। जो जज सरकार के खिलाफ निर्णय लेता है, उसके खिलाफ जुलूस निकाला जायेगा। नारायणदत्त जी की कोठी के सामने उसका पुतला जलाया जायेगा और कहा जायेगा कि सी० आई० ए० [अमरीका के खुफिया विभाग] से मिला हुआ हैं। कितने आदमी हैं जिनमें विरोध करने की हिम्मत हो। ऐसे–ऐसे आरोपों के बाद वे जल जायेंगे। न्ययाधीशों की क्या हिम्मत है कि आपकी निगाह न देखकर आपके खिलाफ फैसला दे सकें। लेकिन खुशकिस्मती

की बात है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। बंगाल हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले हुए हैं, उनसे कुछ आशा बंधती हैं।

अब लीजिए आल इण्डिया रेडियो और टेलीविजन को। वह तो गवर्नमेंट के प्रोपेगैण्डा के माध्यम हो गये हैं। रेडियो से सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोपेगैण्डा होता रहता है वह गवर्नमेंट की वाणी बन गया हैं। वास्तव में वह केवल गवर्नमेंट की वाणी नहीं बनाया जा सकता, वह केवल काँग्रेस पार्टी के लिये ही नहीं, बल्कि वह सारी जनता के लिए हैं। विपक्ष के सभी नेता लोग कहते–कहते थक गए हैं कि रेडियो का एक निगम बना दिया जाय, लेकिन यह नहीं हो पाया हैं। केवल गवर्नमेंट के मात्र प्रचार का यह साधन बन गया हैं। क्या यह उपयुक्त है? लोकतन्त्र की यह धारणा नहीं है, हाँ अधिनायकवादी लोकतंत्र में यह हो सकता हैं। जितने आरोप गुजरात सरकार पर लगाये गये हैं, वह सब रेडियो पर आये? लेकिन वहीं के मुख्य मन्त्री श्री बाबूभाई पटेल का कुछ नहीं आया। हितेन्द्र देसायी ने जो आरोप लगाये वे सभी आये, क्योंकि वह काँग्रस के लीडर हैं, लेकिन गवर्नमेंट के प्रतिनिधि की हैसियत से मुख्यमन्त्री ने जो जवाब दिया वह नहीं आया। आचार्य भावे ने कभी कोई बात कही लेकिन, जो शब्द रेडियो पर आए वह उन्होंने नहीं कहे थे, उन्होंने इसका खण्डन किया। रेडियो न सरकार के मतलब के शब्दों का खूब प्रोपेगैण्डा किया और कहा कि आचार्य भावे ने कहा है, 'इमरजेंसी अनुशासन पर्व है।' जेल में हमारे एक साथी ट्रांजिस्टर सुना करते थे। वे बताया करते थे कि एक नौजवान जिसका नाम सजय गाँधी है, उनका प्रोगाम रेडियो पर आ रहा हैं। हमारी बहिन इन्दिरा जी का युवराज सुपुत्र संजय गाँधी का रेडियो पर प्रोगाम आ रहा हैं। मैं जानना चाहँगा कि इसका क्या औचित्य है? किस नाम, किस उसूल (सिद्धांत) से ऐसा किया जाता हैं। क्या कभी उन्होंने काँग्रेस में रहकर ही कोई जनसेवा का कार्य किया है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तथ्यों से आपके अंतःकरण को चोट लगती है, या नहीं?

अख़बारों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं। सन् १९४२ में ६०–७० हज़ार आदमी गिरफ्तार हुए और उसका असर आज तक हमारे दिमाग पर है कि कितना बड़ा आन्दोलन था। आज दूने आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन लोगों को लगता है कि कोई आन्दोलन ही नहीं हैं। क्योंकि कोई अख़बार कुछ छाप ही नहीं रहा है–छाप ही नहीं सकता हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा सेंसर [प्रतिबन्ध] नहीं था, जैसा आज हैं।

राजनारायण जी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेश था। संजय गाँधी जाते हैं, सुप्रीमकोर्ट में मामले को सुनने के लिए। इसलिये पुलिस

वकीलो को एक जगह से दूसरी जगह जाना रोक देती है, क्योंकि संजय गाँधी आये हुए हैं; उनको खतरा हो सकता हैं। सुप्रीमकोर्ट के बार एसोसिएशन की मीटिंग होती है, पुलिस की निन्दा की जाती हैं। क्योंकि जस्टिस महोदय के पास उनका एक डेपटेशन जाता है कि पुलिस किस तरह वकीलों को रोकती है, इसलिये चीफ जस्टिस प्रधानमन्त्री को लिखता हैं। क्या यह एक ऐसी चीज़ है, जिसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ख़बर अख़बार में नहीं छपी, क्योकि सेंसर था। कौन से नार्म्स [पैमाने] हैं? यह आपका लौह–पजा क्या ज़ाहिर करता है? आपके ऐसे रवैये के सम्बन्ध में कुलदीप नैयर का जजमेंट हुआ। एक दो पेपर में आखिरी पृष्ठ पर अथवा आखिरी कालम में कुछ छपा, लेकिन आमतौर पर नहीं छापा गया। इसी तरह से प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता टूट जाती हैं। लगभग ६७ नक्सलाइट कैदी दिन के दो बजे जेल तोड़ कर आज़ाद हो जाते हैं। पटना जेल इसी तरह टूट जाती है लेकिन यह सब अख़बारों में नहीं आता। इसी तरह से दिल्ली में तिहाड़ जेल टूट जाती हैं। राजनीतिक कैदी नहीं निकला था, गैर राजनीतिक कैदी १०–१२ निकल जाते हैं। एक भी कैदी अगर छूटने की तारीख से पहले जेल से भाग जाता है, तो बड़ी ख़बर बन जाती है, लेकिन इतनी जेलें टूटी, उनकी ख़बर अख़बारों में नहीं आयी। कितनी ही ऐसी चीज़ हैं, जो ज़रूरी नहीं थीं। उनकी बाबत तो बतलाया जाता है, लेकिन जो ज़रूरी थी उनकी बाबत नहीं बतलाया गया। विपक्ष के किन लोगों की साजिश गवर्नमेंट को गिराने की है, जिसके लिये आपने सेंसर लगाया? मौलिक अधिकारों में अख़बारों की आज़ादी का अपना अलग महत्व हैं। लोकतन्त्र के चार अंग माने जाते हैं–न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस। न्यायपालिका के बारे में मैं बता चुका हूँ। कार्यपालिका के बारे में भी बता चुका हूँ। विधायिका का यह हाल है कि ३३६ एम० पी० लोकसभा में आँख मींच कर हाथ उठाते रहते हैं। चौथा है प्रेस, जिसकी बाबत मै कह ही चुका हूँ।

बात यह है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी प्रधानमन्त्री कभी सच नहीं बोलेंगी–कभी नहीं बोलेंगी। लिख लीजिये, इसका जवाब दे दीजियेगा। जो बयान उन्होंने दिये हैं, उसमें गलत बयानी ही अधिक की गयी हैं। कहती हैं कहाँ है सेंसर। नारायणदत्त जी, यहाँ यू० पी० में सेंसर है या नहीं? हिन्दुस्तान में है या नहीं? गाइड लाइन्स के नाम से आदेश दे दिये गये हैं। इनके खिलाफ अगर प्रेस वाले कुछ करे तो फौरन कार्यवाही। बिजली का कनेक्शन काट दिया जायेगा। अख़बार छपना बन्द हो जायेगा और कोई अपील नहीं होगी। यह है आपका हाल। कहीं भी

गाइड लाइन्स ऐसी ही हैं और सुना है कि आपको इस बीच कुछ और गाइड लाइन्स जारी हुई हैं, मार्च २२ को। उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं कि कहाँ से, किसके हुक्म से जारी हुई हैं। अगर कोई प्रेस वाला न माने और यह कहे कि गाइड लाइन्स पर किसी के दस्तखत नहीं थे, तो सम्भव है इंफारमेंशन [सूचना] डिपार्टमेंट डी० एन० और हाईकोर्ट से तो बच जायेगा, परन्तु आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि उसको रगड़ कर सुखा देंगे। आपने प्रेस को क्या बना दिया? आज मैंने सुबह पाइनियर देखा, उसमें कोई न्यूज [ख़बर] ही नहीं थी। ऐसे ही और पेपर्स [समाचार–पत्र] हैं। ए टु जेड [एक से सौ तक] दो ही नाम उसमें हैं। एक हमारी बहिन जी हैं और दूसरा हमारा भान्जा हैं।

मैं अभी १६–२० तारीख को बम्बई गया था। चार पाँच दलों के नुमाइन्दों ने इकट्ठा होकर यह तय किया कि एक ज़बरदस्त विपक्षी पार्टी बनायी जाये, फैसला हो गया। २० तारीख की दोपहर को मीटिंग में, मैं मौजूद था। लेकिन २१ तारीख को मुझे यहाँ आना था, इसलिये मैं इजाज़त लेकर वहाँ से चला आया। उस रोज़ एक प्रस्ताव एक सज्जन लिखकर लाये। जयप्रकाश नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिये नहीं आ पाये। इसलिये यह हुआ कि २१ मार्च को उन्हें दिखाकर वह रेजोल्युशन रिलीज़ कर [निकाल] देंगे। वह २२ मार्च को अख़बारों में आना चाहिए था। वह २१ तारीख की बात थी। आज २३ तारीख है, न कल आया और न आज ही। रिलीज़ तो ज़रूर कर दिया होगा। लेकिन आज तक प्रेस में नहीं आया। उस पर आपकी गवर्नमेंट की कृपादृष्टि हो गयी होगी, क्योंकि चार पार्टियों का एक होना उनके हिसाब से जनहित के खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि वह आपस में लड़ते रहें, ताकि उनकी गद्दी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, आपकी ही नहीं, आपकी औलाद के लिए भी, क्योंकि दो पीढ़ी तो बीत गयी। तो यह है आपका सेंसरशिप।

इसी तरह से अग्रवाल और जेल काण्डों के बारे में भी प्रेस में कुछ नहीं आया। अग्रवाल के केस में वकीलों की मीटिंग हुई, वह भी नहीं आया। यह जो हमारे अख़बार वाले है, इनसे मेरी मुलाकात हुई। कुछ नये–नये नवजवान आ गये हैं। मैं उनको नहीं जानता हूँ, परन्तु उनकी आँखों से, उनके लहजे से मालूम होता है कि वे आपकी मेहरबानी के शिकार हैं।

अब और एक मज़े की बात हैं; अभी एक फारेन न्यूज एजेन्सी [विदेशी सम्वाददाता समिति] से इन्टरव्यू हुआ, बहिन जी का। उन्होंने कहा कि प्रेस सेसर क्यों लगा रखा है? तो इन्दिरा जी ने उत्तर दिया कि यहाँ के अख़बार गवर्नमेंट के खिलाफ अनर्गल प्रोपेगैंडा करते थे; वह बड़े–बड़े

उद्योगपतियो के अख़बार हैं और बड़ी–बड़ी जायदाद वाले हैं, इसलिए वे हमारे खिलाफ हैं, क्योकि हम गरीबों की हामी हैं। वह प्रेस वाले मालदार आदमी हैं, हम उनके खिलाफ हैं, इसलिये वह खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ नारायण दत्त जी, कि प्रोपेगैंडा करने का सबको हक होता है, सही हो या गलत, अगर वह करना चाहे। कही सविंधान में लिखा है कि प्रोपेगैंडा नहीं होगा? क्योकि यह प्रोपेगैंडा उनके खिलाफ होता है, इसलिए वह कहती हैं कि यह लोकतन्त्र के खिलाफ हैं।

नारायणदत्त जी मेरे नौजवान दोस्त हैं, उनसे कहना चाहँगा कि मालदार लोग आपके खिलाफ नहीं हैं और आप भी उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाये, तो उनके लिए आपसे बेहतर कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी। सन् १९४७ में बिड़ला जी की सम्पत्ति ३० करोड़ थी और सन् १९५१ में बढ़कर ६५ करोड़ हो गयी और सन् १९६४ में बढ़कर ४०० करोड़ हो गयी। आज बहिन जी के शासन के १० वर्षों के बाद वह १० अरब हो गयी हैं। यही हाल सबका हैं। इस तरह के ६५ बड़े–बड़े पूंजीपति घराने हैं। जबसे आपका राज्य आया, तबसे उनकी सम्पत्ति दुगनी चौगुनी और दस गुनी और बीस गुनी हो गयी हैं। लेकिन आप दुनिया को यह ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं। इमरजेसी लागू करने के बाद फेक आर्गनाइजेशन [धोखे के संगठन] कायम किये अध्यापकों के या और लोगों के और वह दिल्ली डेपुटेशन लेकर आये। उसमें बिड़ला जी भी एक डेपुटेशन ले जाते हैं और प्रधानमन्त्री से कहते हैं कि जो इमरजेंसी आपने लागू की है, उसका हम समर्थन करते हैं। फिर भी आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं और उनके अख़बार आपके खिलाफ ख़बर छापते थे। जो शिकायत हमको होनी चाहिए कि अख़बार वाले हमारी ख़बरें नहीं छापते हैं, वह आप करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। आपके हाथ में विज्ञापन हैं, अख़बारी कागज का कोटा है, उसे रिलीज़ करना आपके हाथ में है, बिजली आपके हाथ में है, लायसेंस देना आपके हाथ में है, फेक्ट्री लगाने की इजाज़त देना या न देना आपके हाथ में हैं। फिर क्या यह लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं? इसका मतलब है जान–बूझकर झूठ बोला जाता है, ऐसे नंगी और गलत बयानी की जाती हैं। इस तरह गलत बयानी करना आपकी ही हिम्मत का काम है और आपकी ही यह हिम्मत है कि इस गलत बयानी को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी हिम्मत है, यह कोई पुरुष नही कर सकता। कोई पुरुष ६० करोड़ आदमियों को इमरजेंसी के नाम पर इस तरह से नहीं हाँक सकता है, जैसे यह राजेन्द्र

कुमारी जी कर सकतीं हैं या इन्दिरा जी कर रही हैं। गाय बिगड़ जाये तो आदमी को छोड़ेगी नहीं, चाहे बैल किसी को छोड़ भी दे। बहनों में यह बात तो है ही। रोज़ाना की गलत बयानी मेरी समझ में नहीं आती। वह कैसे कर रही हैं, यह एक अचरज की बात हैं। कामनवेल्थ पालियामेंट्री एसोसिएशन के समाचार भी सेंसर होकर आते थे। आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट के आदमी पैरवी करने वाले थे, उनकी तकरीर (भाषण) आधे कालम में आयी और जवाब केवल दो पन्नों में आया। यह आपने उनके साथ में बर्ताव किया। सच्चाई का गला जितना आपने घोटा है, इतिहास में किसी ने नहीं घोटा होगा। जितनी न्यूज एजेंसी थीं सब समाचार के नाम से खतम कर दी गयी हैं। चायना की न्यूज एजेंसी और मास्को की तरह ही आपकी समाचार एजेंसी हैं। दिल्ली का 'समाचार' और मास्को का 'तास' बराबर हैं।

जो मूल्य आप कायम करेंगे उसका नई पीढ़ी पर असर होगा। पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी के मूल्यों का असर हम पर हुआ, वैसे ही आपके मूल्यों का असर नई पीढ़ी पर होगा। इसी तरह जो इन्दिरा गाँधी कहेंगी, जो उनका तरीका होगा, जो शब्द उनके मुँह में होंगे, जो उनका दृष्टिकोण होगा, जिस चश्में से वे दुनिया को देखेगी, जिनको काँग्रेस में रहना है, उनको उसी तरीके से रहना होगा, देखना होगा। विपक्ष के एक सदस्य ने पालियामेंट में मन्त्री जी से पूछा कि क्या आप यू० एन० आई० व पी० टी० आई० आदि जो पुरानी महत्वपूर्ण एजेन्सी हैं और जो धीरे–धीरे अपना हिन्दी–विभाग विकसित कर रही हैं, उनको ठोंक–पीट कर एक जगह लाना चाहते हैं, तो उस पर सम्बन्धित मन्त्री का वी० सी० शुक्ल ने कहा कि उन्हें बिल्कुल आज़ादी है, वे बिल्कुल स्वेच्छा से मिल रही हैं, इस पर मुझ हिटलर आर स्टलिन की याद आती है, जिसने कहा था कि सब स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। उनके ज़माने में जो राजनीतिक अपराधी जेल लाये गये थे, उनके साथ वह बर्ताव हुआ, जो बरेली में हुआ–अंगूठा दबाकर खून बहाया गया और सबसे कबूल करवाया गया। ऐसा ही श्री शुक्ल जी ने प्रेस वालों के साथ किया और कहा कि वे स्वेच्छा से अपनी हस्ती मिटाने के लिए तैयार हो गये हैं। नारायणदत्त जी, मैं अपनी सारी तकरीर वापस ले लूँगा यदि आप इन अख़बार वालों से पूछें कि असलियत क्या है? सही हालत जानकर आपको आश्चर्य होगा। हाईकोर्ट को भी यह जानने की हिम्मत नहीं हैं। सब–इस्पेक्टर से नाराज़गी हुई और जेल के अन्दर। यदि दुकानदार से जितना रुपया माँगा गया और उसने उतना नहीं दिया तो मीसा के अन्दर। मुझे मालूम हुआ है कि आमतौर पर पुलिस वालों का अब यही रवैया हैं। आपात्कालीन

ज़माने में उन्होंने तरक्की की हैं। पहले पुलिस वाले अपनी अक्ल से ही कुछ करते थे, अब यह काम वह स्थानीय लोगों से यानी काँग्रेस के लीडरों से मसविरा करके करते हैं।

मैं आपसे कह रहा था कि आज यह पोजीशन [स्थिति] हैं। जेल के अन्दर जिसको चाहो बन्द कर दो। जुडीशियरी [न्यायपालिका] की हालत खराब, मैजिस्ट्रेसी की हिम्मत नहीं और रेडियो आपके हाथ में हैं। न्यूज एजेंसी आपके कब्जे में है और पब्लिक मीटिंग हम कर नहीं सकते। जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वह अख़बार में छप नहीं सकती, क्यों? क्यों डरते हैं आप? अख़बारों में क्यों नहीं छपने देते? कोई कारण? पब्लिक मीटिंग नहीं करने देंगे, अख़बार में नहीं छपने देंगे, जिसको मन चाहे गिरफ्तार कर लेंगे? यही लोकतन्त्र है? यह तरीका तो डिक्टेटरशिप का हैं। राज्य आपका चल रहा है; बेशर्मी के साथ चल रहा हैं। महात्मा जी के सपनों का भारत क्या ऐसा ही था? आवाज़ विरोधी पक्ष की कुचल दी गयी, उनका गला घोट दिया गया। वे लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दो वर्ष हुए ब्रजनेव आया था। मधुलिमये से वह पूछ बैठा कि हिन्दुस्तान में दूसरी पार्टी की यहाँ क्या ज़रूरत है? उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। आपकी धारणा है कि जब आप चुन कर आ गये और प्राइम मिनिस्टर बन गये, चीफ मिनिस्टर बन गये, तो फिर अब कहाँ विपक्ष की ज़रूरत रह गयी। आपकी निगाह शोसल डेमोक्रसी की तरफ है यानी कम्युनिस्ट मॉडल के जनतन्त्र की ओर। आप बराबर कहते आये हैं कि चुनाव करायेंगे। हमने आपके नेताओं के बयान पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव समय से होगे। मैं जानना चाहता हूँ कि निश्चित समय यानी फरवरी, मार्च सन् १९७६ में क्यों नहीं हुए? चण्डीगढ़ में तय किया गया कि चुनाव नहीं होंगे। बहिन राजेन्द्र कुमारी जी मुझे अफसोस होता हैं। सिद्धार्थ शंकर राय ने चुनाव की बाबत कहा कि चुनाव बहुत छोटी चीज़ है, हमें मुल्क को मजबूत करना हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुल्क की मजबूती का चुनाव कराने या न कराने से क्या मतलब? चुनाव नहीं करा रहे हैं, इस विषय में उनके शब्द ये हैं

> “Holding of elections is minor, more important is that we have to lay the foundation for the country’s progress.”

> ”चुनाव कराना एक छोटी बात हैं। इससे बड़ी बात है तथा महत्वपूर्ण बात है, देश की प्रगति की नींव स्थापित करना।”

अगर आपकी यह धारणा है कि मुल्क का हित केवल काँग्रेस से ही हो

सकता है और आप चुनाव जीत जायेंगे, तो क्या दिक्कत है चुनाव कराने में?

मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप कराइये चुनाव। आप जानते हैं कि आप हार जायेंगे। गुजरात में आप हारे थे, यह सूरत तब थी जब विरोधी दलों ने केवल एक मोर्चा बनाया था। मोर्चे की जगह एक विकल्प दल होता, तो और भी अच्छे परिणाम होते, फिर भी आपके केवल ४० प्रतिशत वोट पड़े। गुजरात को आप छोड़िये। यदि आपकी पार्टी को जन–समर्थन प्राप्त है, तो सीधी–सी बात है चुनाव क्यों मुल्तवी किया? क्योंकि आपकी हार निश्चित थी। यह प्रधानमन्त्री की शान के खिलाफ है कि वह गलत बयानी करें, परन्तु इन्दिरा जी बराबर गलत बयानी करती रहती हैं।

इलेक्शन का जब वक्त आयेगा किसी दूसरे देश से लड़ाई छेड़ देंगे। ताकि एक साल के लिए फिर इलेक्शन मुल्तवी हो सकें। जो तरकीबें डिक्टेटर्स की होती हैं, वे की जाती हैं और की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय! अब मैं संविधान के बारे में निवेदन करता हूँ। जिस प्रकार से वह एमेंड [संशोधित] किया जाता है, वह भी दुनिया में एक मिसाल हैं। प्रधानमंत्री अपना पेटीशन हार जाती हैं या उनके खिलाफ जो पेटीशन है, उसमें वे हार जाती हैं। अपील करना पड़ता है, तो देश के कानून को ही अपने इन्टरेस्ट [हित] में बदलवा लेती हैं और वह भी रिट्रौस्पेक्टिव इफेक्ट [पूर्व प्रभावी रीति] से। जो हाईकोर्ट के जजमेंट के शब्द हैं, ठीक वे ही शब्द रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट [जन प्रतिनिधित्व कानून] में रखे जाते हैं। १६ दिसम्बर सन् १६७६ को इन्दिरा जी से अख़बार वालों ने पूछा कि संसद के चुनाव में आप कहाँ से खड़ी होंगी, तो कहा कि रायबरेली से। इसी को होल्डिंग आउट कहते हैं, अर्थात् पहले से किसी बात का संकेत करना। उसके बाद ७ जनवरी को एक सरकारी ऑफीसर इन्दिरा के चुनाव–क्षेत्र में उसके हक में भाषण देता है, जो कानून के अनुसार भ्रष्टाचार हैं। लेकिन कानून में संशोधन कर दिया गया कि होल्डिंग आउट नामजदगी की तारीख से माना जायेगा। इन्दिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने ३ बातों पर अपना निर्णय दिया था और तीनों ही संविधान और कानून का संशोधन करके रद्द कर दिए गये। किसी देश का प्रधानमन्त्री अपने हित में हाईकोर्ट से फैसला खिलाफ हो जाने पर लोकसभा में अपने बहुमत के बल पर कानून में संशोधन करा ले और उसके बल पर चुनाव याचिका जीत जाये, तो संसार में इस प्रकार की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। अब सुप्रीमकोर्ट के सामने कोई चारा नहीं था, अगर्चें उसमें भी दो राय हो सकतीं थीं यानी बहुमत के बल पर

किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने हक में कानून बदलवाना कहाँ तक संविधान की भावना के अनुकूल है? लेकिन सुप्रीमकोर्ट से फैसला सुनाने के दिन जैसा भी कानून था उसको ध्यान में रखते हुए इन्दिरा जी की अपील को मंजूर कर लिया, जिसका कि हम लोगों को और हर न्यायप्रिय आदमी को अत्यन्त मानसिक कष्ट हैं। आप भले ही बहस में हमसे जीत जायें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसी मान्यतायें होती हैं, जो हमेशा कायम रहना चाहिये, जिनसे मुल्क बनते और बिगड़ते हैं। इन्दिरा जी के जजमेंट के सिलसिले में जो कुछ हुआ वह देश के लिए शर्म की बात हैं।

इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए देश की स्थिरता का बहाना किया गया हैं। न मालूम देश की स्थिरता को कहाँ और कैसे खतरा हो गया था? ७ नवम्बर को अपराह्ण इन्दिरा जी अपील जीत चुकी थीं। उस दिन देहली में काँग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई, जिसके सिलसिले में ८ नवम्बर के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में इस प्रकार ख़बर छपी किः–

> "Before Mrs. Indira Gandhi reached the A.I.C.C. office the meeting passed a resolution, which is that the unanimous verdict of the Supreme Court had justified the will of the people. Also that the democratic ideals of our noble land have asserted this supremacy."

> "श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहुँचने के पूर्व ही मीटिंग ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सर्वसम्मत निर्णय के द्वारा जनता की इच्छा को न्यायोचित सिद्ध कर दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी पवित्र–भूमि में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का स्थान सर्वप्रमुख हैं।"

परन्तु मेरी अपनी तच्छ राय में भारतवर्ष अब पवित्र–भूमि नहीं रह गया हैं। जहाँ के मिनिस्टरों की तलाशी लेते हों दूसरे देश के लोग और सौ देशों के मिनिस्टरों की तलाशी न होती हो। दूसरे देश के जूनियर अधिकारी जिसका चाहे सामान खुलवाकर देख लें और वहाँ की सरकार से जब पूछा जाता है कि आपने इंडिया के फाइनेंस [वित्त] मिनिस्टर की तलाशी क्यों ली, तो जवाब मिलता है कि हमें यह अन्देशा था कि हमारे देश का सिक्का चुरा कर तो नहीं ले जा रहे हैं हिन्दुस्तान के फाइनेस मिनिस्टर। छोटे से छोटे मुल्क के मिनिस्टरों की तलाशी नहीं ली गयी। क्यों, यह धारणा थी, सच थी या गलत; सच ही मैं तो मानता हूँ कि भारत का मन्त्री चोरी कर सकता हैं। यह पवित्र–भूमि थी गांधी के ज़माने में। गुलामी के ज़माने में भी दूसरे देशों के लोगों के घरों में इस देश के लीडर की तस्वीर लगी रहती थी। उस ज़माने में हम लोग अपने प्यारे देश के लिए

तरह तरह के स्वप्न देखते थे। अब यह नोबिल लैंड [पवित्र–भूमि] रह गया है क्या? मोस्ट इग्नोबिल [बिल्कुल अपवित्र] हम जैसे लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं है और हो भी तो इस उम्र में अब जाना भी नहीं चाहेंगे।

अब देखिये आगे चलकर बरुआ साहब क्या फरमाते हैं

> "Moving the resolution Mr. Baroah said that Mrs. Indira Gandhi had saved the Nation from anarchy and chaos. That Indian people have shown that they were not slaves of some hooligans."

> "प्रस्ताव पेश करते हुए श्री बरुआ ने कहा कि श्रीमती गाँधी ने राष्ट्र को अराजकता तथा अव्यवस्था से बचा लिया। भारतीय लोगों ने यह बतला दिया कि वे कुछ गुण्डों के गुलाम नहीं हैं।"

मेरे तथा जयप्रकाश नारायण जैसे गुण्डे! अगर आप हमको गुण्डे कहें और हम आपको बदमाश कहें तब? और आपने हमको कुछ और कहा और हमने लाठी निकाल ली तब आप गोली निकाल लेंगे। क्या राजनीतिक विरोधियों को हूलिगन कहा जाता है डेमोक्रसी में कहीं पर भी? दिन–रात आपके प्रेसीडेंट इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं। अगर हम गुण्डे हों भी तब भी आप को गुण्ड़े नहीं कहेंगे। ऐसी ही जनतंत्र की रीति होती हैं। आप कहिये कि हम गलत काम करते हैं। आपने हमको गुण्डे कहा, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आगे और कहते हैंः–

> "They knew that the centre would be weakened if Mrs. Indira Gandhi was removed from the summit. The country would be ruled by thugs and pindaries."

> "वे जानते थे कि यदि श्रीमती गाँधी शीर्षस्थ पद से हटी, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा। देश का शासन ठगों और पिंडारियों के हाथों में चला जायगा।"

इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मीसा बनाया था अपराधियों के लिए, जो वाकई तस्करी करते हों; आश्वासन दिया गया था कि लोक–सभा में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मीसा इस्तेमाल नहीं होगा। माननीय देसाई साहब ने जब अनशन किया था, उस समय एक माँग उनकी यह भी थी। उस समय इन्दिरा जी ने उनको लिखा था कि मीसा को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। परन्तु आपने हमको फिर भी मीसा में बन्द कर दिया। क्या आप बतायेंगे क्यों? आप सदन में बयान देते हैं, प्राइम

मिनिस्टर वायदा करती हैं, मोरारजी देसाई को पत्र लिखती हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने इन आश्वासनों की अप्रतिष्ठा क्यों की?

उपाध्यक्ष महोदय! सन् १९३७ के शुरू में जब मेरी उम्र ३४ वर्ष की थी और मैं पहले यहाँ एम० एल० ए० होकर आया, तो मेरे साथ एक कृष्णचन्द्र जी भी आए थे। वे पुराने आदमी थे। मैं और वे तथा एक और सज्जन एक ही कमरे में रहते थे और साथ ही विधान–सभा में आते–जाते थे। जूनियर लड़का था मैं। हमारे बड़े–बड़े नेता मंत्री थे और उन दिनों विरोध–पक्ष में भी कई बुज़ुर्ग लोग थे–जैसे राजा महाराजसिंह वगैरह कितने लोग थे। मुझे अब तक अच्छी तरह से याद है कि प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जी कहा करते थे कि देखो चरणसिंह, जब कोई मिनिस्टर कहीं कोई बयान देता है, मान लो वह दौरे पर जाये और बयान दे, तो वह सरकार की नीति–वक्तव्य की भाँति मान्य होता हैं। वह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट माना जायगा। आज मीसा के मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने औपचारिक वायदा कर दिया। इन्दिरा जी व्यक्तिगत हैसियत से चाहे जो करे, लेकिन यह प्राइम मिनिस्टर का वायदा था। उसकी अवहेलना करना प्रधानमन्त्री के पद को गिराने की बात हैं। नारायणदत्त जी! चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर दो साल रहे, चाहे दस साल रहे, हमें ऐसी परम्परा नहीं कायम करना है कि हिन्दुस्तान में आने वाली हमारी औलादें प्राइम मिनिस्टर के वचनों में यकीन न करें। यकीन के ऊपर सारी सोसायटी चलती हैं। प्राइम मिनिस्टर के वचनों पर मुल्क चलता है, मुल्क उठता है, लड़ाई लड़ता है, सन्धि करता है, नुकसान उठाता है और लाभ उठाता हैं।

अध्यक्ष महोदय! फिर न मालूम कितनी बार संशोधन हुए मीसा में, न मालूम कितनी बार अध्यादेश निकले। दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है और बात–बात पर वहाँ आर्डिनेन्स नहीं निकलते। यहाँ तक कि सन् १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत भी आर्डिनेन्स जैसी बात नहीं थी। लेकिन आपने रिप्रेजेटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में अपने लिए सशोधन कर लिया कि आपके चुनाव के खिलाफ कोई अदालत में नहीं जा सकेगा भविष्य में। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? यह कौन सी जनतन्त्र है? जनतन्त्र के अन्दर तो सब लोग बराबर होते हैं। जनतन्त्र का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुप्रीम कोट नहीं जा सकता। इस आशय से आपने रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट को संविधान के नवे अनुच्छेद में शामिल करा लिया। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टिर था, सन् १९५६ में, मुजफ्फरनगर में एक दिन ज़बरदस्त बारिश हुई और थोड़े समय में इतना पानी भर गया कि गाँव डूबने लगा। जिस गाँव में पानी बढ़ रहा

था वहाँ एक पुराना नाला था, जिसको गाँव वाले काटना या खोदना चाहते थे, ताकि पानी निकल जाये। परन्तु गाँव के ही कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। जब पानी भरने लगा और गाँव डूबने लगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गाँव वाले गये। फ्लड रिलीफ [बाढ़–राहत] का महकमा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट मेरे पास था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वह जगह काट कर नाली खोद कर पानी को बहने दिया जाय, ताकि गाँव डूबने से बच जाय। एक किसान इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में चले गये और वहाँ से इजन्कशन [स्थगन आदेश] ले आये कि जगह नहीं कटेगी, गाँव डूबे या रहे। माननीय तिवारी जी! मेरी उम्र उस समय ५३–५४ की थी, लेकिन मुझे उस वक्त तक इतना तजुर्बा नहीं था, जितना कि आज हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हाईकोर्ट बात–बात में क्यों दखल देता है और गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देता है? इसी तरह से गाजीपुर जिले के एक लेखपाल का ट्रांसफर [तबादला] हो गया। वह हाईकोर्ट में जाकर ट्रांसफर के खिलाफ इजन्कशन ले आया। उस समय की हमारी राय के अनुसार हाईकोर्ट गवर्नमेंट और सबको बेईमान समझती है और इसीलिए बार–बार इंजक्शन जारी करती रहती हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरी कितनी बेवकूफी थी, मेरी कितनी नातजुबेकारी थी। मैं नहीं समझता था कि देश की यह अवस्था होगी आगे चलकर। मैं नहीं समझता था कि पन्त जी या मेरे साथी जानबूझकर कोई ऐसा गलत काम भी करेंगे बेईमानी का। लेकिन आज मेरी समझ में है कि अगर अदालत को अख्तियार न हो दखल देने का तो किसी नागरिक के अधिकार ही सुरक्षित न रह जायेगे और बेईमान मिनिस्टर या बेईमान गवर्नमेंट को मनमानी करने का अधिकार मिल जावेगा।

श्री ऊदल[3]–बहुत दिन के बाद समझ में आया।

चौधरी चरणसिंह–मैंने तो मान लिया।

श्री ऊदल–इसलिए मुझे खुशी हो रही हैं।

चौधरी चरणसिंह–अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ऊदल के लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा जगह रखता हूँ। इसलिए नहीं कि उनको मेरी बात पर खुशी हो रही है, लेकिन मुझ पर उनका पुराना उपकार हैं। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, अपने क्षेत्र में एक मीटिंग में मुझे ले गये। मैंने कहा था कि मैं कम्युनिज्म को अच्छा नहीं समझता। किसानों की आज़ादी चाहता हूँ।

[3] श्री उदल वामपंथी मार्क्सवादी पार्टी से ६ बार (१९५७–१९९३) वाराणसी के कोलअसला क्षेत्र से विधायक चुने गए

तुम मुझे न ले जाओ। मैं कट्टर नान (गैर) कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन ले गये। गलती से वहाँ बैठे हैं। अगली दफा लोकदल का टिकट लेंगे।

तो मैं कह रहा था कि शासक दल ने चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय! कानुन बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर भी उसमें शामिल हैं। इनके विरुद्ध चाहे वह लोग चुनाव में कितनी ही बेईमानी क्यों न करें, विरोध का उम्मीदवार अदालत में न जा सकेगा। क्या बात हई? जैसे कि मुगलों के ज़माने के उमराव होते थे, रईस होते थे; कोई तीस हज़ारी, कोई पचास हज़ारी होता था। ऐसे ही इन्दिरा जी ने कहा कि यह लोग उमरा हैं। प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर और मैं। इनके विरुद्ध इलेक्शन पेटीशन जो होगा, वह अदालत में नहीं जायगा। क्यों नहीं जायेगा अदालत में? एक अलग से आर्गनाइजेशन [संस्था] बनेगा; वगैरह–वगैरह क्यों? आप सब इसको डमोक्रसी क्यों कहते हैं? इन पर कोई सिविल केस नहीं चलेगा। कोई क्रिमिनल केस प्राइम मिनिस्टर पर चलेगा नहीं, न आज न कल। प्राइम मिनिस्टर न रहें तब भी नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों? मैं कहता है कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी के साथ ज्यादती करता है, गुस्स में आकर शूट कर देता हैं। अगर मैं सामने जाऊँ तो मार ही डालेगी। (हँसी)

कोई रेमेडी [बचाव] है क्या? बताइये यह कैसे?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–आपको तो उन्होंने जेल से छोड़ दिया हैं।

चौधरी चरण सिंह–छोड़ तो दिया है और उसके साथ साथ तरह–तरह की अफवाहें भी जारी कर दी हैं। (हँसी)

मैंने तो सुपरिटेंडेन्ट जेल से कह दिया है कि अगर फिर आना पड़ेगा, तो मैं उनके जेल को पसन्द करूँगा। मैं तो यही कहूँगा राजेन्द्र कुमारी जी से कि मुझे वहीं भिजवा दीजिये, तिहाड़ जेल।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया हो? मैं आपसे कहता हूँ, दोस्तों! यह दिल्लगी और हँसी का अवसर नहीं हैं। ठण्ढे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है? यह देश किसी के बाप दादों का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं हैं। हमारा सबका है, ६० करोड़ लोगों का हैं। यह जो हो रहा है आप सब को क्यों नहीं अखरता है? आखिर क्या होगा? काशी नाथ मिश्र कहाँ हैं, रोज़ ही झगड़ते हैं, भले काम के लिए। आज वह कहाँ गये? उनकी आवाज़ क्या हुई? इन्डीविजुअल फ्रीडम [व्यक्तिगत स्वतन्त्रता] के लिये गाँधी जी ने कितना कहा है; लेकिन आप लोग कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकते हैं। क्या

चीज़ आड़े आ रही है? इसको मैं बाद में बताऊँगा। अध्यक्ष महोदय! यह आपके संविधान का हाल हैं। इसको अब मैं छोड़े देता हूँ।

इन्दिरा जी से कोई नहीं पूछ सकता है, चाहे वह कत्ल ही किसी का कर दें, चाहे वह अपील में बेईमानी करके जीत जायें। अब अदालत में पेटीशन लेकर कोई नहीं जायेगा, क्योंकि कामयाब होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया हैं। लेकिन मान लो कि अन्तःकरण से पीड़ित अर्थात् अति ईमानदार एक ट्रिब्यूनल बने, वह इस नतीजे पर पहुंचे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और पुलिस ऑफीसरों ने इन्दिरा जी को जिताया है, तो इसका सीधा–सा इलाज है, उन अफसरान से चुनाव से पहले की तारीख डाल कर इस्तीफ़ा ले ले, और मंजूर इलेक्शन के बाद हो! इस प्रकार मान लो उन्होंने चुनाव कर बेईमानी का काम किया। जो कानून आज है, उसके अनुसार वह काम इल्लीगल [गैरकानूनी] है, परन्तु उस अफसर से कह देंगी कि हम तुमको डायरेक्टर या एम्बेसडर [राजदूत] फलाँ देश का बनाकर भेज देंगे। यह डेमोक्रसी है? आप लोग कभी सोचेगे कि नहीं? गाँव का आदमी तो जानता ही नहीं हैं। बुद्धिजीवी जानते हैं या कुछ अन्य शहर वाले। वह यह कहती हैं कि शहर वालों की मैं परवाह नहीं करती हूँ। मुझे तो गाँव वाले और गरीब चाहिए। लेकिन मैं उसके लिये भी तैयार हूँ। चाहें तो केवल गाँव वालों से ही इलेक्शन करवा ले। बड़ी आई हैं वह गरीब और गाँव वालों को जानने वाली। जवाहर लाल नेहरू तक तो उनको जानते नहीं थे। मैं पूछना चाहता हँ, क्या वह गाँव के झोपड़ों में रही हैं? या उनकी कठिनाइयों को क्या वह जानती हैं? गाँव वालों का तो केवल प्रोपेगैण्डा हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ, पहले गाँव वालों में ही इलेक्शन करवा लें।

चुनाव के सिलसिले में इन्दिरा जी देश के साथ एक और मज़ाक कर रही हैं। कहती हैं कि चुनाव अवश्यमेव जीत जायेंगी, परन्त चुनाव से देश का हित बड़ा हैं। इसलिए अभी चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं हैं। यह एक लाल बुझक्कड़ वाली बात हो गयी। चुनाव से देश–हित का क्या टकराव है, यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़के से यह सवाल पूछे कि एक किसान के पास १५ भैंसे हैं, उनमें ५ मर गयीं, तो बताओ कितनी भैंसे बची? (हँसी) चुनाव में जब आप जीत जायेगी, क्योंकि जीतना तो आपको है ही, तो देश की सेवा और अधिक इतमिनान के साथ कर सकेंगी। फिर चुनाव और देश–हित में क्या जिद है? असल बात यह है कि वह जानती हैं कि बिना भारी बेईमानी किए काँग्रेस आज नहीं जीत सकती। बेईमानी की तरकीब निकालने के लिए इन्दिरा जी ने खुफिया विभाग में कोई सेल अर्थात् विशेषज्ञों की कमेटी बिठा रखी होगी

कि बेईमानी करने के ऐसे रास्ते व तरकीबे ढूँढे, जिससे काँग्रेस की भारी जीत हो और विरोधियों को पता भी न लगे और लगे तो चुनाव के नतीजे निकलने के बाद।

वर्तमान स्थिति का वास्तविक कारण क्या है? मैं उसको भी जानता हूँ और वह यह है कि जून सन् १९७५ का हाई कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ हो जाना। काँग्रेस का गुजरात में उस तारीख को हार जाना। बस यही कारण हुआ हमारे जेल जाने का। जिस स्वराज्य को लाने के लिये हमने और हमारे नेताओं ने पुरुषार्थ किया था उस सब पर पानी फिर गया।

हमको स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि कानून हम कभी तोड़ेगे। कोई हमको अब बतला भी नहीं सकेगा कि कौन सा कानून तोड़ा, जिसके कारण हमको जेल में डाल दिया गया। आज तक तो किसी ने बताया नहीं हैं।

डा० चेन्ना रेड्डी हमारे गवर्नर हैं। यह आँध्र हाईकोर्ट से पेटीशन हार गये। इस बीच में मिनिस्टर हो गये थे। उन्होंने अपील फाइल कर दी थी या करने वाले थे। अयोग्य करार दे दिये गये, क्योंकि हाईकोर्ट की राय में उनका कदाचार साबित हो गया। इन्दिरा जी ने कहा कि तुम्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए और कहा कि केवल एम० एल० ए०, या एम० पी० हो, तो त्याग–पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु मिनिस्टर होने के नाते स्थिति बदल जाती हैं। मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि हाईकोर्ट से हार जाये और सुप्रीमकोर्ट के फैसले तक मिनिस्टर बना रहे; इस्तीफ़ा देना चाहिए। मेरी उनसे बात नहीं हुई है; केवल अख़बारों में पढ़ा हैं। इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन अब आपका (इन्दिरा जी का) केस वैसा ही हुआ, तो क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? मैं यह कहता हूँ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए था और आगे ऐसा होना चाहिए कि फैसला होते ही इस्तीफ़ा दे दे। इसमें शान भी होती हैं। कोई मनुष्य तो अनिवार्य नहीं है देश के लिए, लेकिन बहिन जी के स्वयं बयान क्या निकले? हाईकोर्ट को उनके विरुद्ध फैसला किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न हैं। क्यों नहीं है व्यक्ति का प्रश्न? डाकू को सज़ा हो जाय और गाँव–पंचायत से प्रस्ताव पास करा ले कि वह डाकू नहीं है, बल्कि हमारा प्रधान भी है, इसलिए यह सारे गाँव का मामला है, सज़ा उसको नहीं मिलना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर ही कानून नहीं मानेगा, तो गाँव का सभापति या कोई और क्यों मानेगा? जरा देखिए, मैं कहता हूँ कि जरा देखिए हिम्मत। नियति ही खराब हैं। हँसते हैं आप लोग। कुछ लोग मुस्कराते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जब आपके दल का अध्यक्ष कहता है इन्दिरा इज इण्डिया [भारत है], इण्डिया इज इदिरा [भारत ही इन्दिरा है] तो शरम आनी चाहिए आपको। जो और

लोकतन्त्रिक देश हैं, वहाँ कभी ऐसा नहीं कहते। लेकिन वाह रे आपकी हिम्मत। यह आपकी कमजोरी है, आपकी गलती हैं। आपने इसके विरुद्ध आवाज़ उठायी है? नहीं। उठानी चाहिए थी यह आवाज़। आज आपको २५ प्रतिशत से ज़्यादा जनता का समर्थन नहीं हैं। मान लीजिए ३३ सही, ४२ सही, लेकिन १०० फीसदी राय मिल जाये, तो भी इन्दिरा जी को देश की बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। लज्जा नहीं आती यह कहते हुए? वह शख्स (श्री बरुआ) जो दूसरों को ठग कहता है, अपने स्वार्थ के लिए कहता फिरता है 'इन्दिरा इज इन्डिया एण्ड इंडिया इज इन्दिरा।' परन्तु पूरी काँग्रेस पार्टी उनको समर्थन करती हैं। आप महसूस नहीं करते हैं कि देश के साथ आप कितना बड़ा द्रोह व घात कर रहे हैं। लीजिये उससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात किसी इन्डियन पैट्रीआट [देश भक्त] के लिए और नहीं हो सकती। आपकी इस कायरता के कारण ही देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गयी।

हम पर चार्ज क्या है? इस देश की इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे थे? अर्थात् देश की एकता को जोखिम में डाल रहे थे! इमरजेंसी [आपातकालीन स्थिति] एक मज़ाक बन गयी हैं। न किसी को बोलने दिया जायेगा, न चलने दिया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद ३५२ में एमरजेंसी इस तरह बयान की गयी हैः–

> "If the President is satisfied that a grave threat exists, whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whereby war or external agression or internal disturbances, he may by proclamation, make a declaration to that effect."

> "अगर राष्ट्रपति सन्तुष्ट हैं कि हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के किसी भाग की एकता जोखिम में है, किसी युद्ध से, आक्रमण से या आन्तरिक शान्ति भंग से और कहाँ पर अव्यवस्था पैदा हो गई है, तब वह इमरजेंसी [आपात्–स्थिति] घोषित कर सकता है।"

अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ८–६ महीने हो गये हैं। क्या औचित्य है आपके पास यह कहने का कि देश की एकता को खतरा है? क्या हम पंजाब को लेकर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम बंगाल को बंगलादेश के साथ मिलाना चाहते हैं? यह और क्या है? क्या यू० पी० के हिस्से गोरखपुर या बहराइच को नेपाल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है? राष्ट्रपति कैसे और क्यों सन्तुष्टि हो गये कि देश की एकता को खतरा हैं? यह चैलेंज नहीं हो सकता हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। बस उन्हीं की सन्तुष्टि है, यह कहना पर्याप्त हैं। प्रेसीड़ेंट तो हमारा (इन्दिरा जी का) बनवाया हुआ हैं। वह कुछ कह नहीं सकता

हैं। एक अख़बार वाले ने एक मर्तबा एक कार्टून बना दिया कि राष्ट्रपति महोदय गुसलखाने में हैं। एक सन्देश–वाहक पहुँचता है दस्तखत करवाने के लिए। एक कलम मँगवाकर वहीं दस्तखत कर दिये।

एक सदस्य– बोलते–बोलते आपकी आवाज़ बन्द हो जाती है, जो सुनाई नहीं देती हैं। यह एक व्यवस्था का सवाल हैं।

चौधरी चरण सिंह – आप तीन माइक यहाँ पर लगवा दें। बन्द नहीं होगी। मैं आपको अपना अपराध बताना चाहता हूँ। २५ जून को यू० पी० निवास के एक कमरे में, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, मेरी कमर में चणका था और साइटिका नर्व से बायें पैर में तकलीफ होती थी। वहाँ कुछ दोस्त व बुजुर्ग इकट्ठा हुए और एक रिजोल्यूशन [प्रस्ताव] पास किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूँ। मेहरबानी करके बतावें कि इसमें कहाँ डिस्टरबैंसेज [अशान्ति], इन्टरनल सेक्योरिटी [आन्तरिक सुरक्षा] तथा इंटीग्रिटी [एकता] के खतरे का सवाल हैं।

> "The national executives of the Cong. (O), Jana Sangh, Bhartiya Lok Dal, Socialist Party and the Akali Dal met that morning to finalize the week long programme of agitation to be launched throughout the country to focus attention on Mrs. Gandhi's refusal to resign even after she failed to get an unconditional stay of the operation of the Allahabad judgement that set aside her election."

> "कॉंग्रेस संगठन, जनसंघ, भालोद, अकाली दल तथा सोपा की राष्ट्रीय कार्य–समितियाँ आज प्रातः एक सप्ताह के उस देशव्यापी आन्दोलन के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु इकट्ठा हुई, जिससे जनता का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हो सकें कि श्रीमती गाँधी ने चुनाव–याचिका में हारने तथा तत्सम्बन्धी इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा उस निर्णय के बिना शर्त स्थगन–आदेश न मिलने के बावजूद त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप हमको इस्तीफ़ा मांगना चाहिये था या नहीं इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं; परन्तु इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमको डिमांस्ट्रेशन [प्रदर्शन] करने का हक था, इस्तीफ़ा माँगने का हक था, एजीटेशन [आन्दोलन] करने का हक था। हाँ, वायलेंस [हिंसा] करने का हक नहीं था। यह हमारा प्रस्ताव था। आगे चलकर उसमें यह भी था कि प्रदेश की राजधानी के अलावा तहसील–स्तर पर भी प्रदर्शन होगा कि इन्दिरा जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। यही हमारा कसूर हैं। बतलाइये, इसमें देश की एकता को कहाँ खतरा है? सच्चाई यह है कि पहले से सारा मामला तैयार था। आज की तैयारी नहीं थी। पहले से थी। एक बार इमरजेंसी की घोषणा कर

दी जाये, तो हमेशा के लिये डिक्टेटरशिप हो जायेगी। डिक्टेटरशिप नहीं होगी, एक परिवार का शासन स्थापित करने का मौका मिल जायेगा। अतः २६ तारीख को सवेरे सारे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गयी और उसके लिए आरोप क्या–क्या लगाये गये हैं, जरा उनपर विचार कीजिये।

जयप्रकाश नारायण जी पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने पुलिस व सेना के लोगों से कहा कि वह सरकार के आदेश पर अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इन्कार कर दें। मेरा ख्याल है कि ऐसा कहने का उनको हक हासिल है, जो उन्होंने कहा वह आपको और हमको भी कहने का हक हासिल हैं। सेना और पुलिस से हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा कोई आर्डर उनको दिया जाय जो कानून और देश–हित के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो तो वे उस पर अमल करने से इन्कार कर सकते हैं। उसे उनको नहीं मानना हैं। किसी सैनिक या पुलिसमैन की यह दलील नहीं मानी जायेगी कि उसके ऑफिसर ने उसको ऐसा हुक्म दिया था। आर्मी एक्ट [सेना कानून] में इस आशय का सेक्शन [धारा] मौजूद हैं। ताजी घटना आपको याद होगी माई–लाई की? वियतनाम में माई–लाई एक जगह हैं। अमेरिका के मिलीटरी पर्सोनल [सेना के लोगो] ने कुछ बेगुनाह गाँव वालो को गोली का शिकार बना दिया। काफी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या कर दी गयी। इस पर अमरीका में शोर मचा कि यह तो बुरा हुआ। मुकदमा चला। सैनिकों ने अपनी सफाई में कहा कि इसके लिए उनके अधिकारियों के आदेश थे। वहाँ कोर्ट ने निर्णय किया कि ऐसा कोई आदेश न्यायोचित नहीं हो सकता। यह सरासर जुर्म हैं। जो अफसर ऐसे आर्डर देता है, वह आपको नहीं मानना चाहिए। अगर आपने माना है तो सज़ा भुगतो। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन बहुत बड़ी बात हो गयी थी, अगर जे० पी० ने यह कह दिया था? हमारे आर्मी एक्ट [फौजी कानून] में भी इसी तरह का प्राविधान हैं। अर्थात् कोई अधिकारी खिलाफ कानून आदेश देता है, तो उसके बाध्य नहीं हैं और उस पर अमल करने से इन्कार कर सकते हैं। अब लीजिए मोरारजी देसाई का मामला। आपका कहना है कि वह मिनिस्टिर रह चुके हैं और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। उन्होंने निःसंदेह यह कहा था कि मैं सत्याग्रह करूँगा। किस मौके पर कहा था, किस बात पर कहा था–इस बात पर कहा था कि एल० एन० मिश्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। सारा विरोध–पक्ष कह रहा था कि न्यायिक–जाँच कराओ। आप नहीं माने। इसके पहले और मंत्रियों के विरुद्ध सवाल उठे। प्रधानमन्त्री ने तब भी नहीं माना। इस पर विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि सदन की ही एक कमेटी बैठ जाये; लेकिन उसे भी नामंजूर कर दिया गया। बहुत मुश्किल से यह

तय हुआ कि सी० बी० आई० की इन्क्वायरी [जाँच] करा ली जाये। और यह भी तय हुआ कि सी० बी० आई जो रिपोर्ट देंगी वह सदन के पटल पर रखी जायेगी। उसके बाद सदन स्थगित हो गया। अगली बार जिस दिन हाउस को बैठना था, ठीक उसी दिन १० बजे कोर्ट में दावा दायर कर दिया गया, उन लाइसेंसदारो के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। जब हाउस बैठा तो अपोजीशन ने कहा कि सुना है सी० बी० आई० की रिपोर्ट आ गयी है, उसे हाऊस की मेज पर रखिए। तो उसका जवाब मिलता है कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन हैं। सवाल उठता है कि आपने उसे विचाराधीन क्यों कर दिया? इससे अधिक बेईमानी की बात क्या हो सकतीं है? आपने तो वादा किया था। आपको मिनिस्टर होने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसे ही करोगे? अगर ऐसा करोगे, तो आपको मुबारक। मेरी तो हिम्मत नहीं हैं। मामूली शालीनताओं को मामूली मान्यताओं को भी आप नहीं देखेंगे, तो कौन देखेगा? इस पर मोरारजी ने कहा कि हम हाउस को नहीं चलने देगे और उन्होंने ठीक किया। विपक्ष का विश्वास है कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मूल में राजनीतिक लोग हैं। इसलिए उनकी माँग थी कि भ्रष्ट राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करो। प्रशासन अपने आप ठीक हो जायेगा। न्यायाधीशों से जांच कराओ। जवाब मिलता है कि हमने देख लिया है, एल० एन० मिश्र० के खिलाफ कुछ नहीं है, बंसी लाल के खिलाफ कुछ नहीं हैं। मोटी सी बात है कि अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो जज द्वारा इन्क्वायरी कराने में क्या हानि थी? क्या यह ईमानदारी है?

एक बात मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ उसे फिर दोहराता हूँ। ....सन् १७६० में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आयी, तो उस वक्त के प्रधानमन्त्री अर्ल आफ चेटहेम ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ा, हमारा फर्ज हो जाता है कि उसकी तहकीकात करायें। अगर बात गलत पायी गयी, तो गवर्नमेंट की उससे शान बढ़गी और मन्त्री निर्दोष पाया गया, तो भी गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाये गये। किसी विशेष संवाददाता ने इन्दिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मन्त्री भ्रष्ट नहीं हैं। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता हैं! हालत यह है किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक तो मुकाबले ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जायेगा, जो भ्रष्ट है या अधिक भ्रष्ट हैं। क्योंकि वे जानती हैं

वह तीन–पाँच नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? फिर आपकी हिम्मत की एक बात कहता हूँ, आप एल० एन० मिश्र को शहीद बनाना चाहते हैं, क्यों? इसलिए न, कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं।

हमारी बहिन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती हैं। रोज़ ही गलत प्रोपेगैंडा करेंगी, जिस तरह साम्यवादी दशा में ब्रेन–वाश किया जाता है या दिमाग की सफाई होती हैं। एक गलत काम करो, तो उसको छिपाने के लिए हज़ार झूठ बोले जाते हैं और हज़ार गलत बातें की जाती हैं।

फिर आपने विरोध–पक्ष पर एक आरोप लगाया है हिंसा करने का। तो वह कहाँ है? कहीं पर आज तक ईटें फेकी गयीं हों, वह बतायें। हिंसा साबित न कर सकें, तो आप कहते हैं हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं काई अन्य प्रकार का केस हुआ हो, तो उस सिलसिले का केस चलातीं। सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी और हम लोगों को जेल में बन्द कर दिया, बिना किसी प्रकार की तहकीकात किये। आपको प्रेसीडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इन्दिरा को भी दोष नहीं देता। वे ३३६ मेम्बर पार्लियामेंट में जो आँख बन्द करके हाथ उठाते हैं, उनका दोष इन्दिरा जी से कम नहीं हैं। दो लाख व्यक्तियों का एक एम० एल० ए० प्रतिनिधित्व करता है और दस लाख का एक एम० पी० प्रतिनिधित्व करता हैं। मैं फिर कहता हूँ कि वायलेंस करने जा रहे हैं, तो उसका सबूत आज तक क्यों नहीं दिया? हमें दिखा देते यह सबूत अलहदा बुलाकर या कोर्ट में दिखा देते। परन्तु आज तक नहीं दिखाया गया।

श्री रमेश श्रीवास्तव–यह तो हाउस की कार्यवाही में मौजूद हैं। आप तो हिंसा में विश्वास करते हैं।

चौधरी चरण सिंह–हाँ करता हूँ, लेकिन उतना ही जितना श्रीकृष्ण जी करते थे। उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि अगर पांडवों के साथ घोर अन्याय करोगे और उनको पाँच गाँव भी नहीं दोगे, तो युद्ध अनिवार्य हो जायेगा। इसी सन्दर्भ में आप महात्मा गाँधी के विचार जानने की कृपा करें, जो अहिंसा धर्म के तौर पर मानते थे। गाँधी जी ने कहा था कि मैं अहिंसा से स्वराज्य चाहता हूँ, तभी मेरे स्वप्नों का हिन्दुस्तान बनेगा। लेकिन अगर अहिंसा से स्वराज्य नहीं मिलता, तो मैं हिंसा इस्तेमाल करने में नहीं हिचकूंगा, क्योंकि मैं गुलामी से बेहतर हिंसा को मानता हूँ। हिंसा से बदतर गुलामी हैं। (व्यवधान)

...... आप क्या कह रहे हैं?

चौधरी चरणसिंह–मैं सही कह रहा हूँ।

सभी काँग्रेसमैनों का और पण्डित नेहरू का यही ख्याल था, वह नहीं मानते थे। अहिंसा को धर्म के तौर पर नहीं, मसलहत और पालिसी के तौर पर मानते थे। हिंसा किन्हीं परिस्थितियों में भी नहीं होगी, यह किसी ने नहीं कहा था। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकतीं हैं; मज़बूरी और आवश्यकता हो सकतीं है, जिनमें हिंसा करनी पड़ सकतीं है–ऐसा लगभग सभी का विश्वास था। यह श्रीकृष्ण ने कहा था, पंडित जवाहरलाल ने कहा था, महात्मा गाँधी ने कहा था और यही मेरा कहना हैं। आप ६० करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर रख दे, उनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दें और आप चाहते हैं, यह सब कुछ मुल्क बर्दाश्त करता रहे। मैं लोगों से हिंसा करने के लिए कहूँ, यह मुमकिन नहीं है और चाहूँ तो कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आप समझते हैं कि स्टीम इकट्ठी होती रहे बायलर में और कहीं कुछ नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, एक विस्फोट होगा, एण्ड दी कन्ट्री विल बी डूम्ड इन फ्लम्स। [और देश जल जायेगा]। मैं आपके हित में कह रहा हूँ, अपने हित में और देश के हित में यह बात कह रहा हूँ। आप किसी को ऐसा मौका न दें। हो सकता है कि कहीं कोई नौजवान या कोई पार्टी ऐसी हो, जो बहुत दिनों तक इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं कर पायेगी कि आप उनकी आज़ादी सदा के लिए छीन कर रख ले। इमरजेन्सी किसी मुल्क में आई है, तो वह एक महीने से ज़्यादा नहीं रही हैं। और अपने यहाँ १७ और १८ महीने तक चलने की उम्मीद है, जैसा कि सुनते हैं कि प्रधानमन्त्री जी ने आचार्य जी को जवाब दिया है कि यह नवम्बर–दिसम्बर तक रहने की उम्मीद हैं। आप एक बार पावर में आ गये, तो आप सदैव के लिए देश के मालिक और सर्वेसर्वा नहीं बन गये। आप ही सब कुछ नहीं हैं कि आप सबको मनचाहे ढंग से मिटाकर रख दें। गाँधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया है, लेकिन कायरता के कारण नहीं, अगर उनकी बात आती, तो भी हिसा हो सकतीं हैं। उन्होंने कहा था कि अहिंसा के असफल हो जाने पर मैं लोगों से कहूँगा कि तलवार उठाये स्वराज्य के लिए। मैं उनकी इस बात को उचित मानता हूँ। यदि यह गैरकानूनी है, तो मैं इसको पुनः कहने को तैयार हूँ और अपने अपराध के विरुद्ध कार्यवाही की माँग करूँगा। मेरी पार्टी के लोग मुझसे नाराज़ थे तब, जब मैं कहता था कि सत्याग्रह के लिए किसी डेमोक्रसी [लोकतन्त्र] में स्थान नहीं हैं। मैं काँग्रेस में था, तब भी मेरा ऐसा ही विचार था कि सत्याग्रह एक विद्रोह हैं। सत्याग्रह की राय गाँधी जी ने इसलिए दी थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। आजकल हर मुल्क की गवर्नमेंट शस्त्रों से सुसज्जित है, इसलिए हिंसा की गुंजाइश नहीं हैं। डेमोक्रसी आई, यह डेमोक्रेसी ठीक तरह से चलती है तो सत्याग्रह की किसी को ज़रूरत

नहीं। यही हमारा चुनाव घोषणा–पत्र कहता था। यही उसमें लिखा हुआ है, यही हमने माना हैं। हिंसा की बात किस सन्दर्भ में कही है, यह आप सोचे। इलेक्शन में आप ईमानदारी न करें, हिम्मत के साथ बेईमानी करें, उसकी शिकायत की जाय तो जवाब मिले कि इलेक्शन पिटीशन में जाओ, जहाँ निर्णय पाँच साल में होता हैं। हिम्मत होती, तो तहकीकात कराते। गाँव में घुस नहीं पाते थे और दो सौ पन्द्रह की मेजोरिटी [बहुमत] ले आये कुछ अफसरों की कृपा से, तो दूसरे आदमी क्या करें। यदि आप येन–केन–प्रकारेण सत्ता में रहना ही चाहते हैं, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे करोड़ों रुपये इस्तेमाल करके हो, चाहे गवर्नमेंट के साधनों का इस्तेमाल करके हो या फिर कम्बल और धोती बाँटकर हो या फिर कुछ न हो तो इमरजेन्सी घोषित करके हो, तो मैं कहता हूँ कि विपक्ष को हक हासिल है कि वह येन–केन प्रकारेण, जिस तरह से हो, आपको सत्ता से निकाल बाहर करे। यह मै जानबूझ कर कहता हूँ। (व्यवधान)

चौधरी चरणसिंह–अगर आप नाजायज़ बात करेंगे, डेमोक्रसी को नहीं मानेंगे और आप हमेशा पावर में रहना चाहेंगे, तो अपोजीशन [विपक्ष] को भी अधिकार है इस तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करने का। रोज़ ही कहती हैं इन्दिरा जी, कि विपक्ष वाले मिले हुए हैं अमेरिका से। हम देशद्रोही हैं, रोज़ कहती हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी और सभी से जानना चाहता हूँ कि आपसे राय अलग रखना या यह कहना कि अमेरिका और यूरोप या रूस या चीन सबसे अपने, दूसरे के हित में ताल्लुकात रखना उचित हैं। न कोई हमारा दुश्मन है, न दोस्त हैं। हमारे जो सोशलिस्ट पार्टी के दोस्त हैं, उनके बारे में आपने शायद कुछ और सुना हैं। मेरा कुछ और हो सकता हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमने अमेरिका से साजिश की है अपने देश के खिलाफ। इसका कोई सबूत है? आपको यह नहीं कहना चाहिए अगर आपके पास सबूत नहीं हैं। इन्दिरा जी रोज़ कहती हैं। बोलो कहाँ चले जायें? क्या करें? क्या करे अपोजीशन [विपक्ष]? आपकी प्राइम मिनिस्टर की रोज़ की तकरीर है कि हम लोग बाहर के देशों से मिले हुए हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है, तो लगे। इन्दिरा जी ने रोज़ इस बात को कहा है कि विपक्ष के नेता दुश्मनों से मिले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या कहना है?

सरकारी पक्ष की ओर से....जार्ज फर्नान्डीज की चिट्ठी इस आरोप की शहादत है......

चौधरी चरणसिंह–यह जो चिट्ठी की बात आप कहते हैं सो गवर्नमेंट के बहुत से संगठन और गवर्नमेंट समर्थक दूसरे देशों से बहुत सा धन

पाते हैं, इससे नारायणदत्त तिवारी जी इन्कार नहीं करेंगे। एक दुसरी बात यह है कि यह जो आपने उन पर (चार्ज) आरोप लगाया, हमने भी अख़बार में पढ़ा, जब दिल्ली में थे। यह तब लगाया गया जब आपने इमरजेन्सी लगा दी और रेल कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में लगाया जो कि सन् १९७४ में हुई थी, क्यों नहीं उसी समय लगाया?

श्री धर्मवीर—स्थिति तो तब सामने आई जब यह मालूम हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठने की कृपा करें। माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

श्री चरणसिंह—यह बेकार की बात हैं।

श्री धर्मवीर—यह पत्र पकड़ा गया।

श्री चरणसिंह—तो उसको प्रकाशित कराने में क्या हानि है?

श्री धर्मवीर—मैं आपको उसकी प्रतियाँ दे दूँगा और आपके दल को भी दे दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि जो विवाद है वह राज्यपाल के अभिभाषण से परे हैं। म चाहूँगा कि अपने विचारों को सीमित रखें। राजनीतिक विवाद को लेकर विवाद किया जायेगा, तो स्थिति मेरे लिए कठिन हो जायेगी।

श्री चरणसिंह—मैं समझा नहीं कि मेरी क्या गलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न और उत्तर जो हो रहे हैं, उनसे मुझे दिक्कत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण तक ही सीमित रहें। राष्ट्रीय—स्तर पर चले जाये और जो विचार राज्यपाल के अभिभाषण पर करने हैं, उससे दूर चले जाये, तो मेरे लिए कठिन हो जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जो विवाद उत्पन्न करे, उसी को तो मना करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामनारायण पाठक—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। आप हमारी बात को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये।

चौधरी चरणसिह—उपाध्यक्ष महोदय, में बतला रहा था कि इमरजेन्सी क्यों लागू की गयी। प्राइम मिनिस्टिर ने अनेक बार यह कहा है कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध हैं। जिसका मतलब है कि हम देश के दुश्मन हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि इन्दिरा जी अनेक बार यह कह चुकी हैं, हज़ारों बार कह चुकी हैं कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध हैं। यह चार्ज हैं। इससे बड़ा चार्ज कोई नहीं हो सकता है एक पोलिटिकल [राजनीतिक], आदमी के लिए।

श्री रामनारायण पाठक—मान्यवर में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका जवाब दे दिया जाये।

श्री चरणसिंह—आपका तात्पर्य है कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप जिस ढंग से कह रहे हैं, राजनीतिक विवाद में फँस जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायें, बीच में न बोले।

श्री चरणसिह—मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं पेश किया। पत्र फर्नान्डीज साहब का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, सज़ा हो जाये तो हम निन्दा करेंगे।

चौधरी चरणसिह—यह कानून है, जिसके पास कोई जवाब नहीं होता वे ही यह कहते हैं कि हम लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप उन पर न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं?

औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहा जाता है कि यह इमरजेंसी से पहले ज़माने में बहुत कम हो गया था, अब बढ़ गया हैं। बहुत खूब, आपकी नाकाबिलियत से जो गड़बड़ियाँ पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी ज़िम्मेदारी हैं। टी० यू० सी० शायद श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो आपके दोस्त सी० पी० आई० के हाथ में हैं। अगर हड़ताल हुई होगी, तो आपके दोस्तों ने करायी होगी। एक दूसरा संगठन है आई० टी० यू० सी०।

श्री भीखालाल—इन आठ—नौ महीनों में देश में प्रोडक्शन [उत्पादन] बढ़ गया हैं।

चौधरी चरणसिंह—आप जब चाहते हैं, तो बढ़ जाता है और जब आप चाहते हैं तो घट जाता हैं। औद्योगिक श्रमिकों के जो सार्वजनिक महत्वपूर्ण संगठन हैं, वे आपके हाथ में हैं, विरोधी दलों के हाथ में नहीं हैं, नाकाबिलियत अपनी और ज़िम्मेदारी विपक्ष की।

आपके २० प्वाइन्ट्स [सूत्र] हैं, उनमे कहा गया है कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में विपक्ष वाले अनुशासनहीनता फैलाते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग फैलाते हों, लेकिन काँग्रेस वाले भी कम नहीं हैं। हमने सन् १९७० में निश्चय किया था कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन [अनिवार्य छात्र संघ] होना उचित नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि हालाँकि काँग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने भी लड़कों को भड़काया, लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं पर हिंसा हुई। मुमकिन है दस—बीस लड़के गिरफ्तार हुए हों और उस वर्ष सबसे अधिक पढ़ाई हुई। जिस तरह की पढ़ाई हुई और विद्यालयों में शान्ति रही, उसके बारे में मेरे पास अनेक पत्र आये, जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई विगत २० सालों में भी नहीं हुई। आपके लीडर त्रिपाठी जी आये। ५ तारीख को पावर [शासन] में और आते ही

उन्होंने वह आर्डिनेंस [अध्यादेश] वापस ले लिया और फिर अनिवार्य यूनियंस बनी। नतीजा क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जली। आज तक कहीं इतना बड़ा काण्ड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इसके लिए ज़िम्मेदार था, (श्री त्रिपाठी) उनकी तरक्की हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर लड़कों के झगड़े हुए हैं, तो कौन है इसका ज़िम्मेदार? जब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई कि यूनियंस न हों, तो आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों। जब मैं जेल (दिल्ली में) था, तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे (एस० एच० ओ०)। उन्होंने मुझे बताया है कि जब कभी बस जलाने में या यूनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों को गिरफ्तार किया गया, तो हमेशा काँग्रेस के लीडरों की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ। शिकायत दर्ज कर लो और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दो, लेकिन अनुशासनहीनता कराने का दोष दिया जाता है हमको।

एक तर्क हमारे विरुद्ध यह भी दिया गया है कि हम लोग प्रधानमन्त्री के पद की बदनामी करते थे। कहा गया है कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम तो चाहते हैं कि उनकी शान बढ़े, लेकिन डेमोक्रसी में हमेशा यह होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती हैं। क्या हमने विल्सन साहब की शान बढ़ा दी हैं। उन्होंने अपने आप कहा कि मैं आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर [प्रधानमन्त्री] रह चुका हूँ, अब और अधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता; लेकिन हमारी बहिन जी ने टेलीविजन पर इन्टरव्यू देते हुए कहा कि अभी तो मेरा काम बाकी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का काम बाकी हैं। देश है, सरकार है, हमेशा समस्यायें बनी रहेंगी। लिहाजा हमेशा ही देश को इन्दिरा जी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे उनकी शान बढ़ेगी या घटेगी? मैं कहता हूँ कि किसी के कहने से मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे कुकर्मों से ही घटेगी। आप मुल्क को किधर ले जा रही हैं? आप चाहते हैं कि देश में एक दलीय शासन हो और सिवाय काँग्रेस के कोई दूसरी पार्टी न रहे?

अभी तामिलनाडु में क्या हुआ? मार्च के महीने में वहाँ की विधानसभा की अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन आपकी सरकार ने केवल डेढ़ महीने पूर्व वहाँ की प्रदेशीय सरकार और असेम्बली को बर्खास्त करके अपने कब्जे में वहाँ का शासन ले लिया। मैं जानता हूँ कि क्यों ले लिया? वे तो कहते थे कि आप दोनों चुनाव लोकसभा और विधान सभा के साथ–साथ करायें और अगर पार्लियामेंट का नहीं कराते हैं, तो विधानसभा को भी मुल्तवी करा दें। फिर भी एक–दो महीने पूर्व ही बर्खास्त करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप

थे, सन् १९७२ से। लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ के गर्वनर ने अपने हर सम्बोधन में उनकी तारीफ़ की हैं। उधर कर्नाटक को आप देंखे, वहाँ की कॉंग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष माननीय तिवारी जी इसका कैसे जवाब दे सकते हैं।

चौधरी चरणसिंह—छोड़िये अन्य प्रदेशों को। मैं यह सही कह रहा हूँ कि वहाँ पर रेजोल्युशन पास होता है चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध, लेकिन कोई एक्सन [कार्यवाही] नहीं की जाती हैं। जो गलती पायी गयी, अकुशलता पायी गयी, वह केवल दो सरकारों में पायी गयी है, एक गुजरात और दुसरी तामिलनाड्ड में। न यु० पी० में, न पंजाब में, न हरियाणा में, न बिहार में। तो इससे क्या मतलब निकला? यह कि आपकी इच्छा हो कि देश में एक दलीय शासन हो। लिहाजा दूसरी पार्टी के लोगों को लालच देकर, फुसला कर पार्टी में शामिल कर लिया जाये। बराबर प्रोपेगैन्डा किया गया कि गुजरात की सरकार गिरेगी और आखिर में गिरा ही दी। जनवरी में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से दो या तीन दिन पहले सचिवालय के सामने इन्दिरा जी ने विपक्ष को ध्वस्त करने, उनके मिटा देने का आवाहन किया। में जानना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक लीडर्स [लोकतान्त्रिक नेता] यह दृष्टिकोण अपनाते हैं या कहत है कि विपक्ष को समाप्त ही कर देना है? ५ जनवरी का अख़बार निकाल लीजिये, हमारे पास इस वक्त नहीं हैं। मैंने पढ़ा हुआ है एक बार नहीं दो बार कहा। किसी इन्डिपेन्डन्ट [निर्दलीय] मेम्बर ने श्रीमती जी से यह पूछ ही लिया कि आप विपक्ष वालों से बात क्यों नहीं करती? उन्होंने (इन्दिरा जी ने) कहा कि मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगी। यह रवैया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। फिर जब अगले रोज़ लोगों ने कहा कि आपका इस तरह से मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि

> "I am prepared to hold a dialogue provided the opposition creates a proper atmosphere for a dialogue and does not offer any obstructions to government working."

> "मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते विपक्ष ऐसी बातचीत के लिए उचित वातावरण तैयार करे और सरकार की कार्य प्रणाली में कोई बाधा न डाले।"

उस पर एच० एम० पटेल, जो जनता फ्रन्ट (मोर्चे) के चेयरमैन हैं और गोरे साहब, उन्होंने फौरन इन्दिरा जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आज आपने यह कहा है कि आप बात करने को तैयार हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम उचित वातावरण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? जहाँ तक आपने यह कहा कि हम लोग बाधा डालते रहते

हैं प्रशासन में, सो उसकी मिसाल हम जानना चाहते हैं। हम केवल विपक्ष दल के कर्त्तव्यों को पूरा करते हैं। आपकी जिन नीतियों से देश को नुकसान पहुँच रहा है, उनकी हम आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हिंसा हमने कहाँ की है, क्या बाधा डाला है? आज तक इस पत्र का जवाब नहीं आया हैं। यही नहीं, जय प्रकाश जी ने एक लेटर लिखा। गोरे साहब ने उनसे कहा, तो उन्होंने इतना मुलायम लिख दिया कि बहुत ज़्यादा। अगर मैं होता तो उनको लिखने न देता। इस पत्र की प्राप्ति की सूचना तक भी नहीं भेजी गयी। यह नक्शा है ! यही नहीं, जिस आचार्य के नाम का फायदा उठा रहीं थीं कि वह इमरजेंसी को अनुशासन–पर्व कहते हैं। बसों पर, रेलों पर, दुकानों पर यह पोस्टर लगवा दिये। पर बाबा तो पोलिटिकल नहीं हैं–सन्यासी हैं। निन्दा होती है अपोजीशन की, जब बाबा यह कहते हैं कि इमरजेंसी अनुशासन–पर्व हैं। अब बाबा यह कहते हैं कि हमने यह नहीं कहा था। तो जितने पोस्टर लगे हुये थे दिल्ली के बसों पर और दुकानों पर वह मिटाये गये। इस तरह आपने खूब फायदा उठाया उनके नाम का। लेकिन जब आचार्यों की कान्फ्रेंस करते हैं और वह गैर–राजनीतिक लोग, जिनमें एक्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के भी हैं, रिटायर्ड वाइस चान्सलर्स, जर्नलिस्ट और लिट्रेटियोर [पत्रकार और साहित्यकार] हैं और किसी का कोई राजनीतिक लगाव नहीं है, उन सब ने जो रिजोल्यूशन [प्रस्ताव] पास करके भेजा, आपने पढ़ा होगा, हर मामले या बात में जो विपक्ष ने कही है, उन सब में उन्होंने विपक्ष का समर्थन किया। सर्वसम्मत प्रस्ताव सबके मशवरे से पारित हो गया। उन्होंने उसमें यह कहा कि आप जल्दी इस मसले को सुधारें, ताकि कोई अप्रिय घटनाये घटित न हों; जिसका मतलब है ताकि हिंसा न हो जाये। क्योंकि हर तरीके से किसी कौम को, किसी देश को दबाया जाता है, तो हिंसा होती हैं। (व्यवधान) अच्छा महोदय, आचार्य लोगों के यूनानिमस रेजोल्यूशन [सर्वसम्मत प्रस्ताव] को उनके पास भेजा जाता है और श्री मन्नारायण जी जाते हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के मेम्बर भी रह चुके हैं और काठमांडू में राजदूत रह चुके हैं। दस दिन तक वक्त माँगते हैं। टेलीफोन आप खुद नहीं उठाती हैं। हमेशा आदमी जवाब देता है कि बाद में आपको फोन पर समय दिया जायेगा। दस रोज़ इन्तजार करके लौट गये। संक्षेप में फिर कहूँगा, पहिले इन्दिरा जी ने कहा कि काँग्रेस जन को चाहिए विपक्ष को कुचल दें। अगले रोज़ जब लोगों ने कहा कि अपोजीशन से कुछ बात कीजिये तो कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। जब लोगों ने बहुत कहा तो कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसके लिए वातावरण तैयार कीजिये। लेकिन अपोजीशन की तरफ से जो

लेटर लिखा गया, उसका एकनालेजमेंट [प्राप्ति सूचना] तक न किया गया। जे० पी० ने जो लिखा था उसका जवाब तो दे देतीं। जिस बाबा की बड़ी तारीफ़ रही, और है, उनसे मशवरा करके लोगों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। वे सब गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और प्रस्ताव को लेकर एक आदमी गया, लेकिन उससे दस दिन तक बात तक नहीं की गयी, इतना भी सौजन्य नहीं। यह तो नशा है, यह नशा लम्बे समय तक नहीं टिकेगा। अगर इस तरह से होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो कुछ भी करो इंसाफ के साथ करो। हम चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन आज तो आप चुनाव के लिए भी तैयार नहीं हैं। फिर हमारा दोष क्या है?

अब इन्दिरा जी का बीस सूत्री–प्रोग्राम लीजिये? यह काँग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हर जगह यही पढ़ने को मिलता है कि इन्दिरा जी के प्रोग्राम को पूरा करके उनके हाथ मजबूत करो। अगर आपको उनके हाथ मजबूत करना ही था, तो लिखते कि काँग्रेस के हाथ मजबूत करो। अगर आप कहीं डेवलपमेंट ब्लाक [विकास क्षेत्र] में जाइये, जहाँ कोई छोटी सड़क बनी या ट्युबवेल है, तो वहाँ यही लिखा मिलेगा कि इन्दिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह बनाया गया हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–माननीय सदस्य सदन में शान्ति रखें।

चौधरी चरणसिंह–अपने दौरे में एक जिले में ही नहीं, मैंने अनेक स्थानों पर लिखा हुआ देखा हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–यह कौन सा तरीका है इस तरह से आपस में बातचीत करने का। यह नहीं होना चाहिए।

चौधरी चरणसिंह–इन्दिरा जी के बीस सूत्रीय–कार्यक्रम के सिलसिले में तथा उनकी हुकूमत के दस साल पूरे होने पर एक उत्सव मनाया गया। किसी भी लोकतान्त्रिक देश में ऐसा हुआ? डिवेलरा सोलह वर्ष तक आयरलैंड के प्रधान मन्त्री रहे, ग्लैडस्टन भी दस साल तक लीडर रहे, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ। नौजवान धर्मवीर जी ये कौन हैं, वे नाराज़ न हों, वे इस बात का सोचें। अगर प्राइम मिनिस्टर के अपने निजी तौर से या पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अपने सार्वजनिक उद्योगों को गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को एक बना दिया, क्यों? आखिर आप किधर को जा रहे हैं?

एक आवाज़–उसमें हर्ज ही क्या है?

चौधरी चरणसिंह–हर्ज हैं। यह कोई डेमोक्रसी नहीं हैं। राजा की वर्षी मनायी जाती है, रानियों की वर्षी मनाया जाती है कि उन्होंने दस साल

तक राज्य किया। किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो। इस बारे में आप माननीय नारायण दत्त जी से ही पूछ ले। इसमें काइ हर्ज नहीं हैं। आपने स्टेट और पार्टी को एक बना दिया इन्दिरा जी के साथ। इसको आप सोचें। जेल में मुझे पढ़ने को मिला "Milk price cut on the occasion of Prime Minister Indira Gandhi's birthday" [प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के जन्म दिन के शुभ–अवसर पर दूध के मूल्य में कमी] इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा के लड़का पैदा हो गया, तो इसलिए छुट्टी रहेगी। मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें हर्ज नहीं है? और फिर आप मुझसे जब बहस करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–श्री धर्मवीर जी, आप तो एक ज़िम्मेदार सदस्य हैं; सदन की मर्यादा कायम रखें और बैठने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–आप लोग बैठने की कृपा करें। आप बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा?

चौधरी चरणसिंह–मैं मिल्क–प्राइस के बारे में कह रहा था।

> "Milk-price cut on P.M.'s Birthday. Banglore, Nov. 18th: The state owned Banglore Dairy today further reduced the price of milk from Rs. 1.90 to Rs. 1.80 per litre to mark the birthday of Mrs. Indira Gandhi tomorrow!"

> "प्रधानमन्त्री के जन्म दिन पर दूध के मूल्यों में कमी बंगलौर नवम्बर १८: कल श्रीमती इन्दिरा गाँधी के जन्म दिन की प्रतिष्ठा में सरकारी बंगलौर डेरी ने आज दूध के मूल्यों में और कमी करके रु० १–९० से रु० १–८० प्रति लीटर कर दिया।"

यह टाइम्स आफ इण्डिया में निकला हैं। सुन लीजिये। इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। लकिन दिया जा रहा हैं। किया यह जा रहा है कि एक ही आदमी है, जो हिन्दुस्तान का मालिक हैं। यह लोकतन्त्र नहीं है, इसी सिलसिले में मेजर जनरल हबीबुल्ला खाँ का, उनकी धर्मपत्नी यहाँ मेम्बर भी थीं, एक पत्र उस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूँ; सुन लीजिए।

श्री ऊदल–अब लगता है कि वह समय नहीं आने वाला हैं।

चौधरी चरणसिंह–यही मुझको भी लगता हैं। लेकिन बात अपनी कहे देता हूँ।

श्री ऊदल– आप कहिये।

चौधरी चरणसिंह– मैं यह बता दूं, जो इसका मजमून हैं।

एक मा० सदस्य– ऐसे ही बता दीजिए, मान लेंगे।

चौधरी चरणसिंह– मान लेंगे तो बड़ी भलमनसाहत है आपकी।

मैं कह रहा था कि लेटर लिखा है मेजर रणजीत सिंह को जो बस्ती के हैं। हमारी पार्टी के मेम्बर हैं। उन्होंने यह मूलपत्र मुझको दिया हुआ हैं। मैंने उसको साइक्लोजटाइल्ड कराया था। दो कापी में लाया था, पर कहीं रह गयी हैं। उसमें जो लिखा था वह यह है कि एक सेल बनायी गयी, नाम है एक्स सर्विसेज यू० पी० काँग्रेस कमेटी सेल। मैं इसका कन्वीनर [संयोजक] मुकर्रर हुआ हूँ, प्रदेश भर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप गोरखपुर डिवीज़न के संयोजक हो जाँय और इस सिलसिले में मुझसे बात करलें। इसमें जो प्वाइंट्स लिखे हुए हैं वह हैं जी० ओ० सी० इन–सी०, सेन्ट्रल कमाण्ड और फिर हैं ए० ओ० सी० इन–सी० सेन्ट्रल एयर कमांड जो सर्विस आफीसर हैं। आप अपने इलेक्शन के ख्याल से उनका (अवकाश प्राप्त सैनिकों का) एक संगठन बना रहे हैं। नाम है एक्स सर्विसेज यू० पी० काँग्रेस कमेटी सेल। एक सेल बनाकर आमन्त्रित कर रहे हैं उन उच्चाधिकारियों को, जो आज सर्विस में हैं। अगर सेल किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखती, तो कोई उसमें हर्ज नहीं था। लेकिन नहीं, वह सेल है काँग्रेस–पार्टी सेल। मेजर जनरल हबीबुल्ला खुद काँग्रेसी हैं। यह कैसे मुमकिन हुआ। आप प्रशासन और आर्मी से फायदा उठाना चाहते हैं पोलिटिकल पावर में आने के लिए। जो गलत हैं। आप राज्य और पार्टी को एक कर देना चाहते हैं और हम एक पार्टी का रूल [शासन] देश में लाना चाहते हैं।

अब यहाँ प्रसीडेन्ट [राष्ट्रपति] की भी कोई इ़ज़्ज़त आपने नहीं छोड़ी हैं। प्रेसीडेन्ट ऐसा बनायेंगे, जो अत्यन्त विवादास्पद आदमी हो। बड़े–बड़े पदों पर ऐसे आदमी होने चाहिए, जो विवाद के ऊपर हों या जिनके विरुद्ध व्यक्तिगत कोई बात न कह सकें या कम कह सकें। लेकिन नहीं, ऐसे को बनायेंगे जो अपनी मुट्ठी या जेब में हो। चाहे किसी कमीशन की रिपोर्ट ही उसके खिलाफ क्यों न रखी हो और चाहे जैसे कागज पर उससे दस्तखत करा लेंगे। दुनिया में किसी राज्य के अध्यक्ष के जरिये ऐसी इमरजेंसी स्वीकृत नहीं हो सकतीं थी, जो हमारे यहाँ हुई हैं। इसके पहले पार्लियामेंट से एक विधेयक नामंजूर हुआ। उसी समय एक अध्यादेश भेज दिया जाता है, हवाई जहाज से, प्रेसीडेंट के पास, जो दिल्ली से बाहर थे और तुरन्त उस पर मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की। इस तरह जो प्रतिष्ठा प्रेसीडेंट के पद की है वह आप स्वयं गिराते हैं।

संविधान–सभा में जब संविधान के अनुच्छेद ३५७ पर, जिसमें किसी प्रदेश के शासन को अपने हाथ में लेने और विधान–सभा तथा मन्त्रि–परिषद को बर्खास्त करने का प्राविधान है, बहस हो रही थी, तो डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था किः–

> "If they are at all brought into practice, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the province."
>
> "यदि यह प्राविधान कभी प्रयोग में आते हैं, तो मुझको आशा है कि राष्ट्रपति, जो इन अधिकारों का धारक है, किसी प्रदेश के शासन को निलम्वित करने के पहले पर्याप्त सावधानी बरतेगा।"

परन्तु व्यवहार में ऐसी कोई सावधानी बरती नहीं जा रही हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा था कि वह विधान–सभा का चुनाव लोक–सभा के साथ कराना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव अगर मुल्तवी होता है, तो विधान–सभा का भी होना चाहिए, परन्तु श्रीमती इन्दिरा गाँधी को यह मंज़ूर नहीं था और प्रदेश की गवर्नमेंट को आनन–फानन में बर्खास्त कर दिया।

इसी प्रकार इमरजेसी की बात हैं। संसार भर में कदाचित इमरजेंसी का प्राविधान केवल ब्रिटेन में है, सो भी किसी युद्ध के दौरान। युद्ध का अन्त हुआ और उसके एक या तीन महीने के अन्दर आपात्कालीन स्थिति स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। इसके सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने कहा था–

> "Emergency provision will be a dead letter in practice"
>
> "आपात्स्थिति का प्राविधान व्यवहार में नहीं के बराबर होगा।"

परन्तु आज अपने देश में एमरजेंसी को लगे हुए नौ महीने हो गये।

इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल हैं। दो–दो साल तक किसी क्षेत्र में इलेक्शन नहीं करवायेगा। जिला बिजनौर में डेढ़ साल से नहीं हुआ। लेकिन जहाँ चाहेंगे, वहाँ दो महीने में करवा देंगे। जहाँ सत्तारूढ़–दल के मुआफिक होगा, वहाँ करा देंगे। सालीसिटर एण्ड अटार्नी जनरल भी इसी तरह हैं। जो चाहे परामर्श ले लें, चाहे चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात हो या और कोई बात हो। वाइस चांसलर से भी यही उम्मीद करते हैं। काँग्रेस का लड़का शान्ति भंग करे तो निकाला नही जायेगा। लेकिन जनसंघ का लड़का करे, तो निकाल दिया जायेगा। बहुत विवरणपूर्ण मैं दिल्ली की बात बतला सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं हैं। आपकी क्या इ़ज़्ज़त है धर्मवीर जी? और मुख्य मन्त्री जी की क्या इ़ज़्ज़त है; क्या पार्टी चुनती है लीडर को? मुख्यमन्त्री आपके द्वारा बनाये या हटाये नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर बनते या बिगाड़े जाते हैं दिल्ली में। हमारे माननीय बहुगुणा जी गये दिल्ली में। एक दिन विधान–सभा में मुझसे कह रहे थे कि हमने आपका इंतज़ाम कर दिया कि आप वहीं (विरोध में) बैठे रहेंगे। कोई हर्ज नहीं। जो पद्धति है, वैसी है, उसमें अगर

हम बेठे रहेंगे, तो कोई हर्ज नहीं। अगले दिन मलिक साहब (भारतीय लोक दल के विधायक) ने उत्तर दिया कि बहुगुणा जी आप नौकर हैं, जिस दिन मालिक चाहेगा निकाल देगा। उनके साथ हमदर्दी हैं। नहीं था प्राइम मिनिस्टर को अधिकार कि दबाव डालकर उनसे इस्तीफ़ा ले ले। नहीं है अधिकार कि पोलिटिकल पार्टी को कठपुतली की तरह चलाये। हरियाणा में बनारसीदास हो गये और यहाँ नारायणदत्त तिवारी हो गये चीफ मिनिस्टर। तो आप नामजद किये गये हैं; जिस तरह से सूबेदार हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय इस विषय में दो बात और कहूँगा। नेशनल हेराल्ड अख़बार को हम सभी जानते हैं। काँग्रेस का ही कायम किया हुआ हैं। काँग्रेस वालों ने जिलों से पैसा इक्ट्ठा करके उसको बनाया। उसमें अब तक शीर्षक था 'फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड इट विद आल योर माइट' अर्थात् 'आज़ादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो।' आज यह शीर्षक नहीं रह गया हैं।

यही कह रहा हूँ। आपके लीडर ने आपको निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया, आज क्या मौका था इसको निकलवाने का? कारण यह था कि पढ़े–लिखे लोग यह अर्थ न लगालें कि 'Owing to this Emergency freedom is in peril, defend it with all your might' [आपात्स्थिति के कारण आज़ादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो]। जो दिमाग–परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, इस शीर्षक को हटवाना उसी का अंग हैं।

दो दिन तक अगर कोई अख़बार श्रीमती जी का फोटो नहीं निकालेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट हो जायेगा। 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' मशहूर अख़बार हैं। उसने एक तस्वीर महात्मा जी की निकाली। वह महात्मा जी के नोआखाली की यात्रा की तस्वीर हैं। वह सेंसर हो गई। सेंसर–बोर्ड ने उसको निकाल दिया, इसलिए कि 'It is likely to be misinterpreted' [इसका अनुचित अर्थ लिया जा सकता है]। अर्थात् अब गाँधी जी का अपने देश में कोई स्थान नहीं रह गया है और अपनी लकुटिया लेकर अब विदेश जा रहे हैं। परन्तु सम्पादक ने इसका विरोध किया और सुनते हैं कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस प्रकार से देश का मस्तिष्क बनाया जा रहा हैं। अभी पायनियर में एक ख़बर निकली हैं। वह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं केवल देश के हित में कह रहा हैं। इंदिरा जी की माता जी पर केस चला सन् १९३१ मे और वह जजमेंट अब निकाल कर प्रदर्शित किया जा रहा है, स्टेट एक्जीविशन [सरकारी प्रदर्शनी] में। वही परिवार, जो अब तक हुकमत करता आया है, वही आगे भी करेगा। देश के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया हैं। सन् १९३१ की बात हैं। कितने लोग जेल गये होंगे। गरीब औरत,

गरीब आदमी और कितने देशभक्त, लेकिन नहीं, जो प्रदर्शित किया जाये वह केवल एक लेडी का, प्रधानमन्त्री की माता जी का। मैं जानना चाहता हूँ और लोगों के नाम व काम का प्रर्दशन सरकारी प्रर्दशनी में क्यों नहीं किया गया? ऐसे भी व्यक्ति होंगे, जिन्होंने कमला नेहरू से भी अधिक त्याग किया होगा। इस प्रदर्शनी में इन्दिरा जी की माता जी के खिलाफ जो जजमेंट शायद सन् १६३१ में हुआ था वह भी रखा गया है, वह जजमेंट १२/३/७६ के पायनियर में सारा ही दे दिया गया हैं। परन्तु इसका आखिरी वाक्य ही रेलेवेन्ट [प्रासंगिक] हैं:–

> "Right below this and bracing Kamla Nehru is another small item conveying Pt. Moti Lal Nehru's concern over the development and the arrangements made by him for looking after his young grand daughter, Indira."

आप देखेंगे नेहरू जी के संदेश के पहले पंडित मोती लाल नेहरू का भी मैसेज है ठीक उसके नीचे। ये सब इक्जीविशन [प्रदर्शनी] में रखे गये हैं– अख़बार के ये शब्द इस प्रकार हैं:–

> "ठीक उसके नीचे और कमला नेहरू के चित्र से लगा हुआ एक और चित्र है जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू की अपनी अल्पायु पौत्री इन्दिरा की देखभाल करने के लिए जो प्रबन्ध उन्होंने किये उनकी प्रगति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है।"

दादा को इतनी फिक्र थी और आप लोगों को भी फिक्र करनी चाहिये। हमारी प्रधानमन्त्री जी का तप व तपस्या कितनी भारी हैं।

अध्यक्ष महोदय! मैं अब मुख्य मन्त्री जी पर चार्ज लगाता हूँ। क्यों चीफ मिनिस्टर संजय गाँधी का स्वागत करने जा रहे हैं? सजय गाँधी हमारी बहिन जी के लड़के हैं। २५–३० वर्ष की उम्र होगी। मैंने फोटो देखा उससे वह ऐसे लगते हैं। मालूम नहीं कैसे वह एकदम आसमान में पहुँच गये। इतना ऊपर पहुँच गये जैसे कि प्रधानमन्त्री के बाद वही दूसरे नेता हों। कितनी ख़बरें उनके बारे में निकलती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं हैं। क्यों? यह सच्ची डेमोक्रेसी है कि प्रेस पर इतना जबर्दस्त नियंत्रण हो। क्या प्रेस खुश हो कर ये ख़बरे देता है? ऐसा नहीं है, उसे छापना पड़ता है, आर्डर उसे दिया जाता हैं। संजय हो गये यूथ–काँग्रेस के नेता। यूथ–काँग्रेस की मेम्बरशिप का कोई बाकायदा रजिस्टर नहीं होगा। रोज़ यह व्याख्यान देते फिरते हैं। वरिष्ठ काँग्रेसमैनों को डाँटते फिरते हैं। यू० पी० के विधायकों को चण्डीगढ़ में काँग्रेस मीटिंग में बुरी तरह डाटा कि क्यों फिरते हो इधर–उधर, गाँवों में जाकर काम करो। गाँव के बड़े एक्पसर्ट [विशेषज्ञ] हो गये हैं रातोंरात। सबको उपदेश

देते फिरते हैं, भले ही खुद गाँव में कभी न गये हों। जो आदमी मिलता है, उससे कहा जाता है कि गांव जाइये, गाँव जाइये और वह फटकार भी लगाते हैं कि बातें कम काम ज़्यादा करो। यू० पी० वालों से कहा कि मिनिस्टरी बनती रहेगी, गाँव में जाकर काम करो। उस वक्त तक नारायणदत्त तिवारी की नियुक्ति नहीं हुई थी, स्वतन्त्र भारत में दूसरे पृष्ठ पर ख़बर छपी। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा संजय के आगमन तथा स्वागत के बारे में यह ख़बर छपी थी। संजय जी आ रहे हैं और २८ तारीख को फलाँ–फलाँ प्रोग्राम होगा। मुख्य मन्त्री नारायणदत्त तिवारी ने यह वक्तव्य दिया, जबकि यह काम चीफ मिनिस्टर का नहीं हैं। आप किसी से कह देते अथवा किसी काँग्रेस मैन से कहला देते।

लेकिन हमारे यू०पी० का चीफ मिनिस्टर एक नौजवान के लिये जिसकी कोई कानूगी या सरकारी हैसियत नहीं है, उसका विज्ञापन–भोंपू बजाता फिरे कि वह आ रहा है, तो कहाँ तक उचित है? क्या मतलब है इसका? एक २५–३० वर्ष का आदमी बजट पर व्याख्यान दे जो कि इतनी गुप्त चीज़ हैं। जवान और बूढ़े सभी काँग्रेसमैनों को उपदेश दे। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि प्रधानमन्त्री जी बड़े–बड़े काँग्रेसियों से, जो उनसे मिलने जाता है, कह देती हैं कि पहले संजय गांधी से बात कर लो। चीफ मिनिस्टरों तक से यह कहा जाता हैं। यह सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन की बेइज़्जती हैं। तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संजय और आपका क्या मुकाबला? यह क्या बात हुई, कोई गैरत है या नहीं? आप लोगों को कोई गैरत हो, तो डूब मरना चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि मिनिस्टर नारे के ऊपर नारे लगाते रहते हैं। यह भी मैंने सुना है कि यह नारा लगाया जाता है, "आज की नेता इन्दिरागाँधी, युवकों का नेता संजय गाँधी और कल का नेता राहुल गाँधी।" मैंने यह भी सुना है कि गवर्नमेंट की ओर से एक आर्डर दिया गया है कि २७ तारीख को जब संजय गाँधी आ रहे हैं, तो उस दिन हवाई अड्डे से गवर्नमेंट हाउस तक स्कूल के बच्चों और उनकी अध्यापिकाओं की १५ कि०मी० तक लाईन उनके स्वागत के लिये बनायी जायेगी और बच्चे खड़े कर दिये जायेगे। क्यों, आपने आर्डर क्यों दिया और अफसरों ने दिया है, तो उनसे पूछिये कि क्यों दिया? क्या सीखेंगे बच्चे संजय साहब से? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संजय से तिवारी जी, आप क्या सीखेंगे? मीलों तक बच्चों को खड़ा किया जाये, वे क्या सीखेंगे उनसे। बच्चों को उस व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ा किया जाता है, जिनसे कुछ सीख मिले। ट्रांसपोर्ट अफसर को हुक्म हुआ कि वह ५–५ हज़ार आदमियों को लाये। आर० टी० ओ० को आर्डर हुआ कि पैसे का इंतज़ाम उन्हें करना हैं। इंतज़ाम करके व देंगे। बहुगुणा जी

ने भी यही रिवाज चलाया था। बादशाह अकबर जैसा। आपने भी दिल्ली से आने पर वैसे ही कोशिश की और अब संजय का जुलूस आ रहा हैं। आर० टी० ओ० पाँच–पाँच हज़ार रुपया और आदमी लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों यह सब गवर्नमेंट की तरफ से खर्च होगा?

बीस–सूत्री–प्रोग्राम की उपलब्धियों का एक ज़िक्र चल रहा हैं। यह कौन सी उपलब्धि है साहब? दुनिया में जो किसी भी योग्य गवर्नमेंट के मातहत कार्य होने चाहिए, उसे आप इमरजेंसी [आपात् स्थिति] की उपलब्धियाँ कहते हैं। इस प्रोग्राम में सिंचाई बढ़ाने का सूत्र भी हैं। जिसे हम भी करने को कहते थे और अन्य लोग भी कहते थे।

एक बात और आप कहते हैं कि मीसा में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है, तो यह इन्दिरा जी ने कौन सी नयी बात कर दी, जिसका आप ढोल पीट रहे हैं। यह कानून पहले से बना हुआ था। सन् १९७१ में कौल कमीशन ने तस्करों के बारे में रिपोर्ट दी थी कि बहुत जोरों से यह अपराध बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? लेकिन उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, तस्करों से रुपया लेना था, इसलिये कुछ नहीं किया गया आर जब देखा कि जनता की नाराज़गी बढ़ रही है, तो आपने यह कानून बनाया। यह बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम क्या हो गया है, कोई जैसे नयी गीता लिख दी हो, तो क्या इन सब बातों के लिए इमरजेंसी की ज़रूरत थी? अख़बारों में निकलता है कि जबसे इमरजेंसी लागू हई, तो रेलों में बिना टिकट यात्रा कम हो गयी हैं। टिकट लेकर पहले लोग नहीं चलते थे और जबसे इमरजेंसी लागू हुई लेने लगे हैं, तो साहब! जैसे पहले से कुछ सम्वत् चलते आये हैं, वैसे ही आप भी अब २६ जून से इन्दिरा–सम्वत् चलाइये। बिना टिकट–यात्रा के सम्बन्ध में एक ख़बर सुनिये–

> "P.T.I. 2 August – More than seven thousand persons have been apprehended for travelling without ticket in Ratlam Division of Western Railway Service after the promulgation of Emergency."

> "पी० टी० आई० २ अगस्त–आपातस्थिति की घोषणा के बाद से पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीज़न में सात हज़ार से अधिक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा के जुर्म में गिरफ्तार किये गये हैं।"

रतलाम डिवीज़न में सात हज़ार व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये, तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे? क्या कोई कानून नहीं था? इसी तरह से टैक्स कलेक्शन [कर–वसूली] के बारे में हैं। २ अगस्त की ख़बर है–

> "The Union Minister of State for Finance Mr. Pranob Mukherji today said there was an unprecedented buoyancy in tax realisation during the last 40 days.

In a brief interview to the Bombay television he said, "collection of excise revenue, direct taxes and other taxes improved considerably during the period of Emergency, which ended the sluggishness from which it had been suffering."

"केन्द्र के वित्त राज्य मन्त्री श्री प्रणव कुमार मुकर्जी ने आज कहा कि गत चालीस दिनों में करों की जितनी वसूली हुई है, वह अभूतपूर्व उल्लास का विषय हैं।

बम्बई टेलीविजन के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि "आपात–स्थिति के दौरान आबकारी की आमदनी और प्रत्यक्ष कर तथा अन्य करों की वसूली में पर्याप्त उन्नति हुई हैं। इस आपात्स्थिति ने हमें पीड़ित करने वाले आलस्य को समाप्त कर दिया है।"

यह है आपका प्रोपेगैन्डा। इससे किसी आफिसर की कुशलता नहीं बढ़ेगी, इससे बिना टिकट–यात्रा नहीं रुकेगी। यह तो जैसा आपका चरित्र होगा, वैसा ही काम कर्मचारी करेगा। इस इमरजेंसी से आप कुछ लोगों को जेल भेज देंगे। मानों हमने, अर्थात् विरोध पक्ष ने, आदेश दिया था कि बिना टिकट वालों को न पकड़ो, हमने कहा था स्मगलिंग चलने दो, हमने यह कहा था कि स्थित क्षेत्र न बढ़ाना, हमने कहा था कि लड़कों को लूटने दो, चाकू–छूरे चलाने दो और उन्हें नकल करने दो? लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो–कितना फायदा हुआ है इन काँग्रेस के विरोधियों को बन्द करने से, इसलिए इनको जेल में रहने दो, जेल में रहना इनका ठीक है, यह सब प्रचार हो रहा हैं।

एक "शिशु–मन्दिर" की बात हैं। शिशु–मन्दिर एक छोटी सी संस्था है, जो जनसंघ के लोगों के हाथ में थी। आर० एस० एस० से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको आपने जब्त कर लिया। उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक दावा दायर कर दिया। यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ थी। चूँकि फैसला होने वाला था, इसलिए आर्डिनेंस [अध्यादेश] द्वारा उसे जब्त कर लिया। यह कोर्ट का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान हैं। जब वह मीसा या किसी में नहीं आये, तो आर्डिनेंस लागू करके उनका हरण कर लिया। उसके चार सौ अध्यापक हैं; उनकी तनख्वाह अब नहीं मिल रही हैं। आप सोचें; उन बेचारों का क्या होगा? पूरे इस मीसा में कितने ही ऐसे हैं, जिनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमन्त्री जी उनको नोट कर लें। कानून में मीसा के बन्दी के लिए प्राविधान हैं। लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनके घर पर कोई जीविका कमाने वाला नहीं है, किन्तु ऐसे तमाम लोगों को कानून होते हुए भी कोई एलाउन्स नहीं दिया जा रहा हैं। आप जुर्म बताते नहीं हैं, हाईकोर्ट का अधिकार ले लिया तानाशाह की तरह से, और लोगों को जेलों में डाल दिया, किन्तु उनके लिए जो

प्रावीजन [प्राविधान] है, एलाउन्स का, उसको भी नहीं दिया, तो उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। आप विचार कर लीजिये, इस पर भी रिपोर्ट होने वाली हैं। जेल में नहीं रखा जा सकता है, जो कारागार कानून के अन्दर आता है, अर्थात् बन्दी रखा जाता है, जिस पर कोई आरोप हो या जिसकी अदालत से सज़ा हो गयी हो, उसको ही आप जेल में रख सकते हैं। आप उनको अन्दर रखें या बाहर, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके बच्चों का प्रबन्ध करना आपका फर्ज है, उस पर आप पूरा ध्यान दें।

एक बात और। डी० आई० आर० में कुछ एम० एल० ए० बन्द हैं, उनको विधान परिषद व राज्य–सभा के चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ से आया है, उसमें केवल विरुद्ध शब्द लिखा हुआ हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग डी० आई० आर० में बन्द हैं, उनको राइट आफ वोट क्यों नहीं है? मेरे दो चार दोस्तों से आपकी बात–चीत हुई थी। आपने कहा कि यह लोग जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे दें। मैंने कहा था कि होम सेक्रेटरी [गृह सचिव] से कह कर डी० एम० से कहना होगा कि यदि वे जमानत देना चाहें, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका विरोध न किया जाय। अब मसलन मेरे पास सुबह टेलीफोन आया बनारस से कि दो हमारे साथी थे, उसमें से एक की तो जमानत मंजूर हो गयी, परन्तु दूसरे नौजवान थे शतरुद्ध प्रकाश, उनकी जमानत नहीं हुई। उनको भी आप दिलवा दीजिये, चाहे कन्डीशनल [सशर्त] दिलवा दें। वह वोट देकर फिर चले जायेंगे।

एक बात और है, जिसको कह कर खत्म करता हूँ। पं० नेहरू सन् १९३६ में यहाँ आये। सन् १९३६ में काँग्रेस हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वह इस मौके के लिए बहुत उपयुक्त है; क्योंकि पंडित नेहरू इत्तिफाक से हमारी प्रधानमन्त्री के पिताजी थे। वह अनेक बार कह चुकी हैं कि हमारे पिताजी तो साधु थे, राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ और यह भी कहती हैं कि पालिटिक्स तो मैं जानती हूँ और यह भी कहती हैं कि 'Politics knows no morality.' 'राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती।' अच्छा देखिये पं० नेहरू ने क्या कहा? उस सिलसिले में उनका व्याख्यान है, आल इन्डिया काँग्रेस–सेशन में–

> "Comrades, being interested in psychology, I have watched the process of moral and intellectual decay and realised even more than I did previously, how autocratic power corrupts, degrades and vulgarises".

> "साथियो! मनोविज्ञान में दिलचस्पी होने के कारण मैंने नैतिक और बौद्धिक पतन की प्रक्रिया को गौर से देखा है और पहले से अधिक महसूस किया है कि किस प्रकार निरंकुश सत्ता किसी को भ्रष्ट करती है, पतित करती है और असभ्य बनाती है।"

वे आगे कहते हैंः—

> "A government that has to rely on the Criminal Law Amendment Act and similar laws that suppresses the press and literature, that bans hundreds of organisations, that keeps people in prisons without trial and that sees so many things that are happening in India today, is a government that has ceased to have even a shadow of justification for its existence".
>
> "जो सरकार फौजदारी कानून और उसी प्रकार के अन्य कानूनों पर निर्भर करती है, प्रेस तथा साहित्य का दमन करती है, बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में बन्द करती है तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियाँ करती है, जैसी कि आज भारतवर्ष में हो रही हैं, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का लेशमात्र भी अधिकार नहीं रह जाता है।"

यह उस समय समाचार—पत्रों में प्रकाशित हुआ था, किन्तु तत्कालीन प्रशासन में किसी व्यक्ति या समाचार—पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। किन्तु आज मेरी बात को प्रकाशित करने की किसी की हिम्मत नहीं हैं। मैंने एक किताब लिखी इसी बीच में, पहले से लिख रहा था। अब मैं उसको प्रकाशित करने की सोच रहा हूँ। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि किताबों पर भी सेंसर हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि जो सरकार प्रेस को दबाती है, जो अनेक संगठनों पर पाबन्दी लगाती है अर्थात जैसा कि यहाँ हो गया है, जो जेलखाने में आदमियों को बिना मुकदमा चलाये हुए रखती है, इस प्रकार की बहुत सी बातें जो इस समय भारत में हो रही हैं। हमारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जो हमको नहीं मालूम हैं और न किसी को मालूम हैं, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है एक मिनट भी रहने का।

यह पंडित जी ने सन १९३६ में कहा था। आज हालात में यह ठीक उतरता हैं। एक बात मैं अपने दोस्तों से और कहँगा। मैं कहँगा कि अपना दिल टटोलें, देश का बात सोचें। मेरी बात गलत हो सकतीं है और मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो, मैं माफी चाहता हूँ। इन सब बातों को भूल जायें। जो देश की स्थिति है, उसका निष्पक्ष होकर देखें। जाने—अनजाने में भूल हो गयी हो, उससे कैसे देश को निकालें या आप निकलें।

मुझे इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण वाकिया याद आता हैं महाभारत का। (शासन पक्ष की ओर से हँसने की आवाज़ें आयीं) इसमें हँसने की क्या ज़रूरत है? दुर्योधन की बात कहने जा रहा हूँ; श्रीकृष्ण की नहीं। दुर्योधन से कहा गया कि अगर घोरतम युद्ध हुआ, जिसके कारण देश बरबाद हो गया, तो यह तुम्हारी गलती हैं। दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता

हूँ कि अधर्म क्या है, मगर मैं उससे अपने को दूर नहीं रख सका, अपने आप को बचा नहीं सका। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उस पर आचरण नहीं कर पाया। मानो किसी देव ने मेरे हृदय को ग्रस लिया हो। दोस्तों, यही हाल आपका हैं। यह देव इन्दिरा गाँधी नहीं हैं, आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, यह देव आपका अपना स्वार्थ है, अपना हित है, जो हर मनुष्य का होता हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, जिसका स्वार्थ न हो, बिना उसके संसार का व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन जब अपने हित का देश के हित से टकराव होता हो, उससे देश को खतरा हो, तो कम से कम उन लोगों को, जो देश की सेवा का व्रत ले चुके हों, अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और देश की बात करनी चाहिए। सोचो और विचार करो। कोई मनुष्य अमर नहीं हैं। देश अमर हैं।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय! मैंने जो संशोधन पेश किया है, मैं चाहता हूँ कि सदन उसे स्वीकार करे और जो मुझसे गलतियाँ हो गयी हों, तो मैं उधर के लोगों से माफी चाहता हूँ। (तुमुल हर्ष–ध्वनि)

चौधरी साहब के साथ तिहाड़ जेल में

– पी० एन० सिंह[1]

२२ अगस्त, सन् १९७५ की रात्रि में मुझे व मेरे मित्र के० के० गुप्ता को लाल किले से तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। जेल के कार्यालय में पहुँचते ही एक परिचित सा चेहरा दिखाई दिया। वे सज्जन दिल्ली प्रशासन के एक अधिकारी थे और उस समय तिहाड़ जेल में उप–अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। हँसते हए बड़े प्यार से उन्होंने हमारे पहुँचने का स्वागत किया और कहा कि कई दिनों से आप लोगों के आने की ख़बर थी। मेरे यह कहने पर कि किसी अच्छी जगह रखियेगा, तो वे बोले कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। थोड़ी देर लिखने–पढ़ने की आवश्यक कार्यवाही समाप्त करने के पश्चात् वही अधिकारी किसी अन्य अधिकारी तथा दो वार्डरों को साथ लेकर हम लोगो को जेल के अन्दर बैरेक्स की ओर ले चले। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक लोहे के दरवाजे के पास रोक लिया गया और मेरे मित्र के० के० गुप्ता को अन्य अधिकारी व एक वार्डर के साथ आगे की तरफ ले जाया गया। लोहे का दरवाजा खुला दोनों ओर बीस–बीस चक्कियों की कतार बनी हुई थी। उन दोनों के बीच से जो गली जाती थी उससे होकर अन्तिम छोर पर बायीं ओर मुड़ते ही दूसरे नम्बर की चक्की में मुझे बन्द कर दिया गया। एक टूटी सी चारपायी, जिसके ऊपर एक दरी व एक बेढब गदे के ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर एक फटी हुई मच्छरदानी भी लगी थी। मैं बैठकर बहुत देर तक उस परिस्थिति के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया था। अगल–बगल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मुझसे मिलने की आज्ञा नहीं थी। केवल दो समय मेरी चक्की का दरवाजा तब खुलता था, जब 'बी' क्लास का मशक्कती चाय, खाना आदि लेकर आता था। काफी समय तक यही पता न चल सका कि इस जेल में कौन कहाँ रह रहा है।

---

[1] परमात्मा नन्द सिंह जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे, आपातकाल में कॉग्रेस सरकार के बंदी रहे और इनमें से ४ महीने चौधरी चरण सिंह के साथ तिहाड़ जेल में काटे। उनकी यह यादगार देशभक्त मोर्चा द्वारा १९७८ में प्रकाशित 'परन्तप' के पृष्ठ २०५–२१२ में छपी थी।

अन्याय से टक्करः चक्की का चक्कर

अक्टूबर में जब मुझे बगल में रहने वाले अन्य लोगों से मिलने–जुलने की अनुमति मिल गयी और चक्की का दरवाजा प्रातः ५ बजे से शाम के ८ बजे तक खुलने लगा, तब पता चला कि १४ नम्बर के वार्ड में जिसको कि 'बी' क्लास कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल तथा सरदार आत्मासिंह और जयपुर के राजकुमार श्री भवानी सिंह रहते हैं। थोड़े ही दिनो के बाद चालीस चक्की के हेड वार्डर के व्यवहार से कुपित होकर मैं अपने को न सभाल सका और एक दिन उसे तीन–चार थप्पड़ लगा दिये। परन्तु उस घटना से मुझे स्वयं ही आत्मग्लानि हुई और प्रायश्चित हेतु पाँच दिनों के अनशन का नोटिस मैने जेल अधिकारी को दे दिया। उस अनशन के दौरान ही मुझे जेल के अस्पताल में भेज दिया गया।

दो अक्टूबर को १५ नम्बर वार्ड में जो लाठीचार्ज हुआ और जब कराहते हुए घायल राजनीतिक बन्दियों को स्ट्रेचर पर लाद–लादकर जेल के अन्दर पहुँचाया जा रहा था, उस समय मैं भी जेल के अस्पताल में ही था। वह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने झूम जाता है। उस अनशन की समाप्ति के थोड़े दिनों के बाद ही जेल अधीक्षक ने कहा कि जयपुर के राजकुमार श्री भवानी सिंह पैरोल पर चले गये हैं। उनकी चक्की मैंने आपके लिए रख ली है। उसमें ताला लगवा दिया है। आप वहीं चलकर रहें। मैंने थोड़े दिनों तक सोचने का मौका ले लिया था।

इसी बीच में के० के० गुप्ता को भी बारह चक्की से, जिसे जेल की भाषा में 'कोरा टिन' कहा जाता है, मेरे पास चालीस चक्की में भेज दिया गया था। साथियों के इस सुझाव के पश्चात् कि बी क्लास में जाकर मुझे चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल आदि के साथ रहकर राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सकेंगी, मैंने वहाँ जाना स्वीकार कर लिया था। अक्टूबर, सन् १९७५ का ही कोई दिन था, जब मुझे व के० के० गुप्ता को १४ नम्बर वार्ड 'बी' क्लास में भेज दिया गया। हम दोनों का सामान तो धीरे धीरे पहले ही भेज दिया गया था।

लगभग शाम के ७ बजे का समय होगा, जब हम दोनों बी क्लास में पहुँचे, चारो ओर सन्नाटा था। जेल के नियमानुसार १४ नम्बर में रहने वाले किसी भी राजनीतिक बंदी या कैदी को यह पता नहीं था कि आज हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अन्दर घुसते ही बैरकों में रहने वाले लोग जो ७ बजे के बाद दरवाजों के अन्दर बन्द हो जाते थे, अन्दर से ही घूर–घूर कर हम लोगों को देखने लगे कि ये दो नये मेहमान कौन आ गये हैं? मुझे भी कुछ

ऐसा ही लग रहा था कि जैसे पुराना घर छोड़कर हम किसी नये घर में आ गये हों, जहाँ की मिट्टी, आब–हवा व लोग बिलकुल ही अनजाने–अनजाने से लग रहे थे। हमारा सारा सामान चक्की के बाहर पड़ा हुआ था।

जब हमने चक्की में प्रवेश किया, तो यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि चक्की के ऊपर की टंकी से पानी बहता हुआ एक ओर की दीवार में पूरी तरह से सीलन पैदा कर चुका है। चक्की के बाहर दरवाजे पर ही आमतौर से वार्ड में आने–जाने व काम करने वालों के लिए सामूहिक शौचालय बना हआ है। चक्की के अन्दर से अजीब प्रकार की नमी युक्त गन्ध आ रही थी। मुझे जेल के अधीक्षक श्री रामनाथ शर्मा पर बहुत ही क्रोध आ रहा था कि क्या इस चक्की की इतनी सराहना करके मुझे यहाँ लाया गया है? क्या यह सही है कि इस चक्की में जयपुर के भवानी सिंह जी को रखा गया था? मुझे शंका हुई और यह जानने के लिये कि असलियत क्या है, मैं बैरेक की ओर मुड़ पड़ा। एक बैरेक के नजदीक जाकर मैं बाहर ही सरिये के जंगले के साथ खड़ा हो गया। अन्दर से कई लोग बड़ी उत्सुकता के साथ मेरे पास आकर जंगले के दूसरी ओर खड़े हो गये और यह जानने के बाद कि मेरा नाम पी० एन० सिंह है, वे लोग स्वयं ही कहने लगे कि आपके लिये तो भवानी सिंह वाली चक्की खाली रखी गयी थी; आज सुबह से ही उसकी बड़ा सफाई हो रही थी। पर शाम को इस वार्ड का मुंशी अपना सारा सामान अपनी चक्की से उठाकर आप वाली चक्की में रख गया। आपके लिये उसने अपनी चक्की खाली छोड़ दी है। इतना सुनना था कि मैं उस चक्की की ओर गया। मुंशी अपने सामान आदि को ठीक कर रहा था। साथ ही एक ओर सरदार जी थे, जो दिल्ली पुलिस के कोई इंसपेक्टर थे और कत्ल के केस में हवालाती के रूप में बी क्लास में रह रहे थे। मुंशी से उनकी काफी अच्छी मित्रता थी, अतः दोना साथ ही रहने लगे थे।

मेरे यह कहने पर कि मुंशी जी आप अपना सामान लेकर अपनी चक्की में जाइये और जिसमें रहने के लिय मुझे जेल अधीक्षक ने बुलाया है, मैं उसी में रहूँगा, उसने बहुत हँसते हुए मुझे जवाब दे दिया कि आप पहले ही व्यक्ति है, जिसने जेल के अन्दर मुझे इस तरह का हुक्म दिया है। जेल के अधिकारी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, जो मुझे ऐसा कह सकें। मुझे भी कहना पड़ा कि अच्छा तो अब देखना यही है कि आप यहाँ रहते है या मैं रहता हूँ। इतना कह कर मैंने उस वार्ड के हेडवार्डर से यह पूछा कि जेल अधीक्षक ने मुझे कहाँ रहने के लिये कहा है? हेडवार्डर न भी मुझे यह कहकर टाल दिया कि दोनों चक्कियाँ तो एक जैसी ही हैं। आप इसी में रह लीजिये। अंत में मैंने लिखित रूप में जेल अधीक्षक को

यह भेजा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं चक्की में नहीं जाऊँगा। किन्तु इसी बार जेल के चक्कर जमादार, जिसका रौब जेल के अन्दर जेलर के बाद दूसरे नम्बर पर होता है, बल्कि कछ मायने में उससे भी अधिक, उससे लेकर जितने भी जेल अधिकारी आये वो मुझे ही समझाने में लगे हुये थे कि जो चक्की खाली हैं अब आप उसी में रह लीजिये। अंत में मैं जेल अधीक्षक के समक्ष पेश हुआ। इस प्रकार काफी रात गुजर गयी और अन्ततः यह निर्णय हुआ कि मुंशी जी उस चक्की को खाली करें। पूरे बी क्लास के लोग जो उस मुंशी के आतंक से भयभीत रहते थे, पहली बार उसकी पराजय से बहुत ही उत्साहित हुए। बाद में पता चला कि यह मुंशी अपने बाप को गोली मार कर आया हुआ है और उसी तरह का रौब दाब पूरी बैरक के अन्दर रखे हुए है। वैसे तो चूँकि १४ नम्बर का यह वार्ड तिहाड़ जेल की बी क्लास का एक ही वार्ड था, इसलिए जितने भी नामी कैदी, जिनको बी० क्लास की सुविधायें मिली थीं, इसी में रह रहे थे– उदाहरणतया डा० एन० एस० जैन (विद्याजैन हत्या काण्ड के अभियुक्त) श्री डिसूजा (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी) और छः लाख की बैंक–डकैती काण्ड के अभियुक्त इत्यादि।

चौधरी साहब से भेंट

मुंशी ने जब भवानी सिंह वाली चक्की खाली कर दी, हमने अपना सामान उसमें रखा और याद नहीं कि उस दिन खाना खाया या नहीं। दोनों मित्र बातें करते–करते सो गये थे। प्रातः ५ बजे उठकर हम दोनों ने सामने वाली बैरक के बगल वाले मैदान में साथ–साथ टहलना शुरू किया। रात को यह पता चल गया था कि साथ वाली चक्की में चौधरी चरण सिंह रह रहे हैं। करीब आधे घण्टे के बाद चौधरी साहब के स्नानगृह की बत्ती जली। अन्दर से वे हम लोगों के टहलने की आवाज़ भी सुनते रहे, ऐसा उन्होंने बाद में हमें बताया। थोड़ी देर बाद वे चक्की का दरवाजा खोलकर बाहर आये और हम दोनों को आवाज़ दी, 'कौन है?' हम दोनों ने उनके पास जाकर नमस्कार करके अपना परिचय दिया और वहीं से शुरूआत हई चौधरी साहब के निकट रह कर जेल–जीवन की कहानी की।

हम दोनों को लेकर वे अपनी चक्की के अन्दर गये और प्रारम्भिक परिचय के तौर पर किस प्रकार से हम लोग गिरफ्तार हुए, लाल किले से लेकर ४० चक्की व १२ चक्की में हम लोगों को कैसे–कैसे रखा गया इत्यादि बातों पर घंटों चर्चा होती रही। काफी अफवाहें हम लोगों को लेकर जेल में समय–समय पर फैलती रहती थी, इसलिए वे भी हम लोगों

से मिलने के लिये काफी उत्सुक थे और हम लोगों से मिलकर वे काफी संतुष्ट दिखायी दिये।

सादा–जीवन, संकल्प अटल

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बी क्लास का मुंशी सरदार एक कातिल कैदी ही नहीं था, बल्कि प्रकृति से भी शैतान तबीयत का था। बी क्लास में जो खाना बनता था, उसकी देखरेख में बनता था। बी क्लास के सारे कैदी एक साथ, एक ही स्थान में जो खाना खाते होंगे, उसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बिना घुली उड़द या मूंग की दाल, जिसकी कभी सफाई नहीं होती थी, बाजार से बोरियों में आये मिल के आटे की रोटियाँ एवं मोटा चावल, सब्जी के नाम पर आलू या किसी अन्य के साथ निरा पानी। ऐसा खाना वह सरदार मुंशी चौधरी साहब के पास मशक्कती द्वारा भिजवा दिया करता था। सरदार प्रकाश सिंह बादल व सरदार आत्मासिंह चूंकि माँसाहारी थे, इसलिए स्टोव या हीटर आदि पर अपने लिए कुछ अलग से बनवा लेते थे। चौधरी साहब के परिवार के लोग, जिनमें उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी एवं उनके दिल्ली में रहने वाले दोनों दामाद व पत्रियाँ थे। उनके खाने के बारे में बहुत चिंतित रहा करते थे। अक्सर वे सरकारी अनुमति लेकर चौधरी साहब से मिलने के लिए आया करते थे। चौधरी साहब ने मुझे बताया था कि उनकी पुत्रियाँ और घर के अन्य लोगों को हमेशा यह डर बना रहता था कि उन्हें जहर न दे दिया जाये।

मुझे खाना बनाने हेतु मशक्कती मिल गया, जो दिल्ली परिवहन निगम का एक वाहन–चालक परमानन्द था, जिसे बस–दुर्घटना के कारण जेल की सज़ा हो गयी थी। हिमांचल प्रदेश का रहने वाला परमानन्द प्रकृति से सौम्य, समझदार आज्ञा–पालक और साफ–सुथरा रहने वाला था। जो भी कार्य परमानन्द को एक बार कहा जाता था, उसे और भी अच्छा करने के प्रयास में वह लगा रहता था। घर से मैंने हीटर मँगवा लिया था। खाने हेतु आटा, चावल, दाल की अब हमें घर से मंगाने की अनुमति मिल गयी थी। चौधरी साहब के लिये दिल्ली के गाँव के लोग, जो वहाँ जेल मे थे, मक्की व चने का आटा समय–समय पर मँगा दिया करते थे। खाना मेरी चक्की के बाहर वाले बरामदे में ही बना करता था। मेरी भी रुचि स्वयं खाना बनाने में हो गयी थी और इस प्रकार कुछ समय अच्छा गुजर जाया करता था। कढ़ी तो मेरे यहाँ की इतनी मशहूर हो गयी थी कि दूसरे बैरक के लोग जब कभी आते, तो एक बार कढ़ी खाने के बाद औरों को भी कहे बिना नहीं रह पाते थे। इस प्रकार से समय–समय पर सुरेन्द्र

मोहन (जनता पार्टी के वर्तमान सचिव), दिल्ली के मदनलाल खुराना और अन्य लोग खाना खाने हेतु आ ही जाया करते थे। चौधरी साहब अक्सर खुश होकर कहा करते थे, 'परमानन्द इतना अच्छा खाना मत खिलाया करो, क्योंकि घर जाकर चौधरानी जी से झगड़ा होगा।' पंजाब के वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री प्रकाश सिंह बादल एवं पंचायत व विकास मन्त्री सरदार आत्मासिंह अक्सर कढ़ी, मक्की तथा चने की रोटी की दावत पर हमारे वहाँ आया करते थे और इन्हें अपनी रसोई में बनने वाले मुर्गे से अच्छा बताते थे। चौधरी चरण सिंह जी को खाने के साथ हरी मिर्च बहुत ही पसन्द है। पाँच–छः हरी मिर्च बारीक कटवाकर दाल व सब्जी में खाते समय डाल लेते थे। खाने में दूसरी चीजें, जो उन्हें पसन्द हैं, उनमें खीर तथा देशी घी की पूरी मुख्य हैं।

डा० जे० पी० सिंह और उनकी पुत्री जब भी मिलने आते थे, तो खीर तथा पूरी अवश्य ले आते थे। रात्रि में खाना खाने के बाद एक गिलास दूध चौधरी साहब को अवश्य चाहिए। इन सब चीजों का प्रबन्ध मेरे बी क्लास में आने के बाद समुचित रूप से हो गया था। अब हम लोगों द्वारा सब कुछ स्वतः प्रबन्ध कर लेने से बी क्लास का सरदार मुंशी अलग–थलग–सा पड़ गया था और चिढ़ने लगा था। बी क्लास में रहने वाले जितने भी बन्दी थे, चाहे वे राजनीतिक हों या अपराधी सभी चौधरी साहब की इज़्ज़त करते थे। कुछ प्रमुख लोग जो वहाँ थे, उनमें सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार आत्मा सिह के अलावा सतना, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वैद्य एवं तान्त्रिक पण्डित श्री पूर्णानन्द जी, उनके भतीजे श्री गंगा प्रसाद तथा कुछ आनन्दमार्गियों–जैसे आचार्य नितेश जी, विश्वनाथ जी, दीनदयाल जी, नित्य बोधा नन्द, राय साहब, नारंग साहब थे। ये सभी लोग चौधरी साहब का खूब आदर किया करते थे। पर सरदार मुंशी इतना शैतान था कि चौधरी साहब पर भी कुछ न कुछ व्यंग कसा करता था। एक दिन चौधरी साहब जब अपनी चक्की से मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे थे, तो बीच में ही वह मिल गया और कहने लगा, 'चौधरी साहब कहीं आप उत्तर–प्रदेश के मुख्य मन्त्री पुनः हो गये तो हमें भूल तो न जाओगे?' चौधरी साहब को यह बात बुरी लगी और क्रोध में यह कह कर चले गये, 'क्या तुम समझते हो यह बहुत बड़ी बात है?' पर जेल की मज़बूरी ऐसी होती है कि इससे अधिक उसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता था।

एक दिन उसने मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर मैंने उसे बहुत डाँटा और लिखित रूप में उसके तबादले की शिकायत कर दी। जेल अधीक्षक ने बुला कर उसे कुछ कहा, जिसके लिए वह प्रकाश सिंह बादल व सरदार आत्मासिंह से सिफारिश करने हेतु जा

पहुँचा। सरदार आत्मासिंह भी उसके व्यवहार से काफी नाराज़ थे। मुंशी अगर किसी की कुछ परवाह या सम्मान करता था, ता वह सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। उसका कारण यह था कि बादल साहब मुर्गा आदि खाने पर काफी खर्च करते थे और मुंशी भी, उसमें से कुछ पा लेता था। बादल ने उससे कहा कि पी० एन० सिंह को मनाने हेतु चौधरी साहब से बात करे। अंत में न चाहते हुए भी मुंशी को चौधरी साहब के पास सिफारिश कराने जाना पड़ा, क्योंकि जेल अधीक्षक ने साफ–साफ उसे बता दिया था कि अब तुम बी क्लास मुंशी नहीं रह सकते। जेल के अंदर मुंशी या नम्बरदार पद से हटाए जाने का मतलब यह होता है कि जसे रिश्वत खोर थानेदार को साधारण सिपाही बनाकर लाइन दिया जाता है। मुंशी चौधरी साहब के पास सिफारिस के लिए पहुँचा। चौधरी साहब तो पहले ही उबले पड़े थे उन्होंने उसे बहत डाँटा और कहा कि यदि तुम्हें सच अपने व्यवहार पर पश्चाताप है और मुंशी बने रहना चाहते हो, तो सीधे जाकर पी० एन० सिंह से ही माफी माँगो। उसके बाद मैं भी कह दूँगा। अंत में उसको मुझसे ही माफी माँगनी पड़ी। उस दिन के बाद वह मुंशी एक बदला हुआ इंसान बन गया।

निजी मान्यतायें, विभिन्न रुचियाँ

चौधरी साहब को ताश खेलने का बहुत शौक था। दोपहर का खाना खाने के बाद आधा घण्टा आराम किया करते थे। उसके बाद यदि हम लोगों को पहँचने में थोड़ी देर भी होती तो अपने मशक्कती राजेन्द्र को, जो जेल में 'डालमिया' के नाम से मशहूर था, हमें बुलाने भेज देते थे। उधर से प्रकाश सिंह बादल और बी क्लास में ही झूठे कत्ल के अभियोग में हवालाती के रूप में रह रहे चौधरी स्वरूप सिंह, जो अब वकालत कर रहे हैं एवं पंडित प्रकाशचन्द चौधरी साहब की चक्की के बाहर वाले बरामदे में बिछे हुए गद्दे पर ताश खेलने हेतु बैठ जाया करते थे। तीन चार घंटे ताश खेलने में ही नित्य व्यतीत होते थे। चौधरी साहब ताश में हुक्म की बेगम छकड़ी खेलने के शौकीन थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं तो लखनऊ के अन्दर भी शाम को सात बजे के बाद अपनी बेटियों के साथ नित्य ही ताश खेला करता था। चौधरी साहब अपनी बेटियों को याद करके प्रायः भाव–विह्वल हो जाया करते थे। हालाँकि उनका एक पुत्र भी है, जो अमरीका में रहता है। उसी बीच भारत आने पर वह जेल में मिलने भी आया करता था, पर चौधरी साहब का अधिक स्नेह अपनी बेटियों के ऊपर है, ऐसा उनकी नित्य की बातों एवं व्यवहार से लगा करता था।

चौधरी साहब की मुख्य व्यस्तता जेल के अन्दर किताब लिखने की थी। एक किताब जो जेल आने के पूर्व ही वे प्रारम्भ कर चके थे, उसे लिखने में वह अपना अधिक से अधिक समय लगाया करते थे। लिखने का कार्य प्रातः पाँच बजे से लेकर आठ साढ़े आठ तक तथा रात्रि में आठ बजे के बाद किया करते थे। उस किताब को लिखने के लिए बाहर से भी काफी सामग्री वे मंगाया करते थे। किताब अंग्रेजी–भाषा में लिख रहे थे, इसीलिए उसका नाम 'बैक टू गाँधी' या 'रिटर्नड टु गाँधी' रखने का विचार कर रहे थे। जब भी परिवार के लोग आते थे, लिखा हुआ भाग बाहर टाइप हेतु भेज देते थे। यह क्रम, जब तक वे जेल में थे, बराबर चलता रहा।

चौधरी साहब को ज्योतिष व हस्तरेखा में पूर्ण विश्वास है और इसकी जानकारी भी वे पर्याप्त रखते हैं। ज्योतिष की जानकारी हेतु जितनी भी पत्रिकाएँ इस सम्बन्ध में अच्छी से अच्छी निकलती हैं, उनको वे अपने दामाद डा० जे० पी० सिंह के द्वारा जेल में भी मँगाया करते थे। ज्योतिष के द्वारा आपात्कालीन स्थिति के बारे में भी वे अपना अनुमान समय–समय पर बताया करते थे। मैं नहीं कह सकता कि अनुमान कहाँ तक सही निकले। ज्योतिष के अनुसार चौधरी साहब का यह दृढ़ विश्वास है कि वे अपनी जिन्दगी के ११५ वर्ष पूरे करेंगे। ज्योतिष जानने वाले देश के कुछ ज्योतिषियों का भी वे सम्मान और विश्वास करते हैं। अक्सर वे कहा करते थे कि एक बार मैं इस देश को नील नदी से लेकर तिब्बत के उत्तरी छोर तक तथा श्रीलंका के तट से लेकर कश्मीर के अन्तिम छोर तक देखना चाहता हूँ। पर इस सम्बन्ध में इस तथ्य से भी पूर्ण आश्वस्त हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं लगता।

एक मंच की ओर

जेल में चौधरी साहब के रहते ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वह यह कि तिहाड़ जेल में रह रहे अन्य नेताओं के सम्पर्क से ८ फरवरी सन् १९७५ को यह तय हुआ कि आपात स्थिति से देश को उबारने का एक ही रास्ता है और वह यह कि सभी दलों को मिलाकर एक दल बनाया जाये। यह बैठक तिहाड़ जेल के १४ नम्बर वार्ड बी क्लास में ही आयोजित हो पायी थी; जिसकी अध्यक्षता चौधरी चरण सिंह ने ही की थी। इस बैठक में जनसंघ से नानाजी देशमुख लाला हंसराज गुप्त, तत्कालीन मदरलैंड के एडीटर श्री मलकानी तथा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेन्द्र मोहन, अकाली दल के सरदार प्रकाश सिंह बादल व सरदार आत्मासिंह शामिल थे। सुरेन्द्र मोहन को जनसंघ के मिलने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक–संघ, विद्यार्थी परिषद् एव जनसंघ

के श्रमिक संगठन आदि के बारे में कुछ शंका थी। फिर भी कुल मिलाकर यह निर्णय हुआ कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं निःसकोच भाव से कह सकता हूँ कि इस बैठक को सफल करा पाने के लिए मुझे कई महीने प्रयास करना पड़ा था। चौधरी चरणसिंह एव प्रकाश सिंह बादल जेल के अस्पताल में नहीं जाते थे। अस्वस्थ होने पर डाक्टर वार्ड मे ही उन्हें देखने आते थे। पर हम सबने एक दूसरे से मिलने का एकमात्र स्थान तिहाड़ जेल के अस्पताल को बना लिया था। वहीं पर मैं चौधरी साहब का संदेश नानाजी देशमुख एवं सुरेन्द्र मोहन आदि को देता था और उन लोगों का सदेश चौधरी साहब तक पहुँचाता था। क्योंकि एक दूसरे के वार्ड में जाकर मिलने की सुविधा नहीं थी। सोशलिस्ट पार्टी एवं काँग्रेस (पुरानी) की ओर से कोई निश्चित सूचना न आने पर चौधरी साहब ने नानाजी देशमुख को मेरे द्वारा यह भी कहलवाया था कि बाकी दल बाद में शामिल होंगे। पहले जनसंघ और भारतीय लोकदल का विलय घोषित कर दिया जायेय पर नानाजी देशमुख को इसमें कुछ संकोच था और इसलिए यह घोषणा नहीं हो सकी थी।

धुन के धनी, सदा निर्भय

एक दिन चौधरी साहब परिवार के लोगों से मिलकर लौटने के बाद बता रहे थे कि चौधरानी व बेटियाँ बहुत घबरायी हुई थीं, तो चौधरी साहब ने उनको यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम लोग चाहते हो, तो मैं आज ही श्रीमती गाँधी को पत्र लिखे देता हूँ और वे मुझे रिहा कर देंगी। इस पर सबने कहा था कि ऐसा करने के लिए हम लोग नहीं कहेंगे। चौधरी साहब के परिवार के लोगों को सबसे अधिक घबराहट यह थी कि श्रीमती गाँधो के बारे में आम लोगों की यह धारणा बनती जा रही थी कि बडे नेताओं को जेल में खाने के साथ धीमा जहर दिया जा रहा है। चौधरी साहब ने बताया कि मैंने घर वालों को समझा दिया है कि अब तो खाना पी० एन० सिंह की देख–रेख में उनका मशक्कती परमानन्द बनाता है, जो स्वयं बहुत ही भला आदमी है। इस बात से घरवालों को काफी संतोष हुआ था।

एक घटना आज भी याद है। चौधरी साहब अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए ड्योढ़ी में गये हुए थे। वहीं पर महारानी सिंधिया (जिन्हें जनता पार्टी आज राज्य सभा का सदस्य बनाने जा रही है) अपने परिवार के लोगों के साथ मिल रही थीं। उन्होंने चौधरी साहब से कहा था, “चौधरी साहब अब नहीं हो सकता। अच्छा यही है कि आप श्रीमती गांधी से बात करके उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री पद ले लीजिये।” चौधरी साहब

ने वहाँ से आने के बाद हम लोगों को बताया था कि महारानी सिंधिया को मैं एक मजबूत इरादे वाली महिला समझता था, पर यह तो इस प्रकार की बात मुझसे कह रही थीं।

अगाध–विश्वास के सागर

चौधरी साहब के तिहाड़ जेल के बारे में लिखते हुए बात अधूरी रह जायेगी, यदि मुंशी राजेन्द्र 'डालमिया' (जेल के लोग उसे इसलिए 'डालमिया' कहा करते थे, क्योंकि उसने देश के जाने–माने उद्योगपति डालमिया के दिल्ली–निवास से चोरी की थी और इसी की सज़ा में वह जेल भुगत रहा था।) की चर्चा न की जाये। चौधरी साहब की सेवा राजेन्द्र बहुत मन लगाकर करता था। सिर दबाना, पैर दबाना, कब गर्म पानी की आवश्यकता है, कब नहाना है आदि बातों का ध्यान बहुत तत्पर होकर रखता था। चौधरी साहब भी उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे। चौधरी साहब के बक्से की चाबी, जिसमें अन्य सामान के साथ रुपया पैसा भी रहता था, राजेन्द्र के पास ही रहती थी। किस सामान की कब ज़रूरत है? उसी के अनुसार वह जेल की कैंटीन से क्रय कर लेता था और एक–एक पैसे का हिसाब बहुत ईमानदारी से रखता था। विश्वास नहीं होता है ऐसे लोग जेल के बाहर की दुनिया में किस प्रकार से चोरी जैसे अपराध करते हैं। इस बात से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को अपराध करने पर मजबूर कर देती हैं।

कुलवन्त कुमार गुप्ता, जो आजकल मेरे साथ ही सदस्य महानगर परिषद् हैं, जेल–सुधार–समिति के भी सदस्य हो गये हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हआ कि राजेन्द्र पिछले दिना पुनः किसी अपराध में जेल आया हुआ है। यह बात पर पता चली जब श्री के० के० गुप्ता जेल का निरीक्षण करन पिछले दिनों वहाँ पर गए हुए थे।

अति उदार विशाल–हृदय

एक और घटना उल्लेखनीय है, जो चौधरी साहब के व्यक्तित्व की उदारता व बड़प्पन को उजागर करती है। वह यह कि दिल्ली जेल में किसी दिन किसी ऐसी बात पर कुलवन्त कुमार गुप्ता को चौधरी साहब ने डाँट दिया था, जिसको बाद में उन्होंने यह समझा कि उचित नहीं था। इसके लिये लिखकर के० के० गुप्ता से उन्होंने अफसोस व्यक्त किया और क्षमा माँगी। उस बात ने के० के० गुप्ता और मेरे दिल में उनके लिए एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया।

अनजाने जुदाई, सिंह की रिहाई

७ मार्च सन् १९७६ को अचानक ख़बर आयी कि चौधरी साहब को जेल की ड्योढ़ी में बुलाया गया है। प्रातः आठ नौ बजे का समय होगा। सबको आश्चर्य हुआ कि क्या बात है? क्योंकि यदि कोई बात होती, तो जेल अधीक्षक स्वयं आकर चौधरी साहब से मिल लिया करता था। जेल उप–अधीक्षक श्री राणा ने, जो चौधरी साहब के लिए संदेश लेकर आया था, अलग उनकी चक्की में जाकर उनसे बात की थी। चौधरी साहब जब जाने लगे, तो हम लोगों से इतना ही कह पाये कि मैं अभी सुनकर आता हूँ कि क्या बात है? लोगों ने तरह–तरह की शंका व्यक्त की। किसी ने कहा, "चौधरी साहब छोड़े जायेंगे।" तो हमारे जैसे लोगों को यह शंका थी कि कहीं चौधरी साहब को यहाँ से कहीं दूसरी जेल में तो नहीं भेजा जा रहा है? थोड़ी ही देर में जेल अधीक्षक जेल के अन्य कर्मचारियों के साथ चौधरी साहब का सामान ले गया और हम लोगों के यह कहने पर कि हम चौधरी साहब से मिलना चाहते हैं, कहने लगा कि यदि कोई कैदी ड्योढ़ी पर रिहाई हेतु बुला लिया जाता है, तो पुनः वार्ड में नहीं आ सकता। और ऐसा ही हुआ। हम लोगों से बिना मिले ही वे तिहाड़ जेल से रिहा हो गये। बहुत उदास–सा लगा था, पर सबको एक आशा सी बंधी थी कि रिहाई की एक प्रक्रिया शुरू हो गयी। जनसंघ के लोगों ने काफी जोरों से यह अफवाह जेल के अन्दर उड़ायी कि चौधरी साहब की इन्दिरा गांधी से कुछ लोगों के माध्यम से बात हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें छोड़ा गया है। अफवाहों में यह भी शामिल किया था कि चौधरी साहब को लेने हेतु तत्कालीन आवास राज्यमन्त्री श्री एच० के० एल० भगत और अन्य काँग्रेसी नेता आए थे। मेरी तो इन बातों को लेकर जनसंघ के कई लोगों से झड़प भी हो गयी थी।

एकता के प्रयास, कुहासे में प्रकाश

मार्च सन् १९७६ में ही दिल्ली जेल से हम लोगों को (मुझे, के० के० गुप्ता व तीन अन्य साथियों के साथ) फतेहगढ़ (उत्तर–प्रदेश) की जेल में भेज दिया गया था। वहाँ से के० के० गुप्ता और मैं चौधरी साहब को पत्र लिखा करते थे, जिनका उत्तर भी आया करता था। तिहाड़ जेल में रहते हुए भी चौधरी साहब अपने सभी मिलने वालों को, जो भिन्न–भिन्न प्रदेशों की जेलों में रह रहे थे, बराबर पत्र लिखा करते थे।

११ जून, १९७६ को बीमार हो जाने के कारण हाई. कोर्ट के आदेश से मुझे दिल्ली जेल पुनः भेज दिया गया। यहाँ आकर मैं पण्डित गोविन्द

वल्लभ पंत अस्पताल के दस नम्बर वार्ड नर्सिंग होम में दाखिल कर लिया गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण जी एवं कुछ अन्य नेता भी जेल से बाहर आ गए थे। जयप्रकाश जी बहुत जोरों से इस प्रयास में थे कि सभी दलों को मिलाकर एक दल बना दिया जाये। इसके लिए उन्होंने बम्बई के अन्दर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल होने हेतु चौधरी साहब भी गये हुए थे। पर वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी, जिससे चौधरी साहब बहुत खिन्न होकर लौटे और उन्होंने यह तय कर लिया कि मैं इस नये दल में अपने को शामिल नहीं करूँगा। समाचार पत्रों में भी यह ख़बर छपी और आम जनता में यह आशंका व्यक्त होने लगी कि शायद सबको मिलाकर एक दल न बन सकेगा। समाचार पत्रों में छपने लगा कि चौधरी साहब नये दल का अध्यक्ष होने से कम की बात पर स्वयं को शामिल करने हेतु तत्पर नहीं। मुझे याद है, मैं किसी प्रकार से कृष्णकान्त जी को अस्पताल में बुलवाकर यह कहने में सफल हो गया था कि जैसे भी हो चौधरी साहब को मनाकर नये दल का गठन करना चाहिए। कृष्णकान्त जी भी बम्बई होकर आए थे और जो बातें वहाँ हुई थीं, उनको मुझे भी उन्होंने बताया। थोड़े दिन के बाद दिलावर सिंह साँगवान, जो दिल्ली जेल में बीमार हो जाने के कारण पन्त अस्पताल में दाखिल थे, उनकी पत्नी द्वारा चौधरी साहब को सदेश भिजवाकर अस्पताल बुलाने में हम लोग सफल हो गए थे। जिस प्रकार से रायफल के साथ पहरे पर लगे हुए पुलिस के सिपाही और उनका निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को यह कह कर कि ये दिलावर सिंह के ताऊजी हैं, हम लोगों ने चौधरी साहब से घटों बात करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। चौधरी साहब को जनसंघ के श्रमिक नेता श्री ठेगड़ी के पत्र से, जिसको उन्होंने जयप्रकाश जी के यहाँ देखा था और साथ ही उनके अनुसार सोशलिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं के व्यवहार से काफी, दुःख था। भारतीय लोक दल और अपने खिलाफ जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की उस समय वे साजिश मानते थे। समय की माँग के अनुसार बहुत लम्बे वार्तालाप के बाद चौधरी साहब अगले दिन आने का वादा करके चले गये। दूसरे दिन अपने दामाद डा० जे० पी० सिंह के साथ आए और फिर एक लम्बी–वार्ता के बाद इस बात पर सहमत हुए कि जयप्रकाश जी ने २५ जून सन् १९७६ को जो बैठक बम्बई में बुलायी है, उसमें शामिल होने वे जायेंगे। चौधरी साहब बैठक में शामिल होने हेतु वहाँ गये और जब वे दिल्ली आए तो मैंने अपने एक मित्र श्री हरभगवान द्वारा यू० पी० निवास में मिलने हेतु संदेश भिजवाया। यह जानकर थोड़ा दुःख हुआ कि चौधरी साहब उस बैठक से भी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होकर नहीं लौटे थे। मेरा व दिलावर

सिंह सांगवान का चौधरी साहब से बार–बार यह कहना कि सारी बातों को भुलाकर जयप्रकाश जी के ऊपर भरोसा करते हुए आपको देश के हित में एक दल बना लेना चाहिए और जाते हुए वे कह गये थे कि ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करूँगा, जिससे देश को नुकसान हो।

नये दल का गठन

मैं भी चौधरी साहब की ओर पूर्ण रूप से आश्वस्त था। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद जब मैं फतेहगढ़ पहुंच गया था तो चौधरी साहब के बारे में नाना प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थीं। इस बात को लिखते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि उन अफवाहों को जनसंघ के कार्यकर्ता एवं तत्कालीन जनसंघ के नेता फैला रहे थे। लेकिन जब उसी समय उत्तर प्रदेश विधान–सभा का सत्र शुरू हुआ और चौधरी साहब का विधान सभा के अन्दर चार घण्टे का ऐतिहासिक भाषण हुआ, तो उसकी चर्चा सारे देश में और सारी जेलों में होने लगी थी। जो भी भ्रान्तियाँ चौधरी चरणसिंह के बारे में फैलायी जा रही थीं, वह स्वतः ही समाप्त हो गयी थीं। थोड़े दिनों बाद मोरारजी भाई व अन्य लोग जेल से रिहा हुए। अन्ततः जेल में रहते हुए हम लोगों को यह जानकर सुखद अनुभूति हुई कि जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से एक नये दल का गठन हो गया है, जिसके अध्यक्ष मोरारजी भाई हैं। उसमें सभी दल शामिल हैं। उसका चुनाव चिह्न भारतीय लोक दल का चुनाव चिह्न हलधर होगा और उस दल का नाम जनता पार्टी रखा गया है।

जातिप्रथा के विरोधी

हमारे देश में फैली घिनौनी जाति–प्रथा के बारे में कई बार चौधरी साहब से चर्चा चला करती थी। जात–पाँत के भेद–भाव का समूल उन्मूलन करने के बारे में चौधरी साहब के व्यावहारिक विचार हैं। वे कहा करते थे कि इस देश से यह कलंक मिटाने के लिए प्रतियोगिता के आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरियाँ जैसे आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, आई० पी० एस० तथा एन० डी० ए० इत्यादि उन्हीं युवकों को दी जाये जो अन्तर्जातीय विवाह करने का प्रतिज्ञा पत्र भरें। इसी तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा दूसरी उच्च शिक्षा पाने के लिये कालेजों में प्रवेश लेने के समय भी ऐसा ही किया जाय तो हमारे माथे से यह कलंक धुल जाएगा। चौधरी साहब का अन्तर्जातीय विवाह के सम्वन्ध में यह तर्क था कि जब यह प्रथा उच्च–वर्ग से प्रारम्भ होगी तब ही यह निम्न वर्ग में प्रचलित हो सकेंगी।

उसके बाद मेरी मुलाकात चौधरी साहब से दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल में २२ मार्च सन् १९७७ को हुई, जब देश में आम चुनाव हो चुके थे। काँग्रेस और उसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी हार चुकी थीं। चौधरी चरणसिह सहित सभी नेता जीत चके थे। मुझे भी चुनाव–परिणाम की घोषणा के बाद २१ मार्च सन् १९७७ की संध्या ८ बजे के करीब छोड़ दिया गया था। विलिंग्डन अस्पताल में चौधरी साहब का इलाज चल रहा था। आम चुनाव की गहमागहमी व गर्मी में दिन–रात परिश्रम करते हुए उनके शरीर में पानी की कमी से रोग हो गया। इसका आभास उन्हें तब चला, जब देश के अन्दर दूसरी सरकार बनने हेतु भाग–दौड़ हो रही थी।

चौधरी साहब अब देश के गृहमन्त्री हैं। ऊँच–नीच के इस भेद–भाव को मिटाने में वह कहाँ तक सफल होते हैं, यह भविष्य के गर्भ में है।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने २५ जून १९७५ को गैर–संविधानिक इमरजेंसी (आपातकाल) की घोषणा कर हिंदुस्तान के मुख्य राजनयिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंदी बना लिया। स्वतंत्र हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए यह सबसे संकटपूर्ण तथा दुखद घटना रही है। बरहाल, ८ महीने की जेल कैद के पश्चात् ७ मार्च १९७६ को चौधरी चरण सिंह तिहाड़ जेल (दिल्ली) से रिहा हुए। २३ मार्च १९७६ को वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपातकाल व्यवस्था और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ चार घंटे खड़े होकर गरजे, परन्तु सेन्सर व्यवस्था के कारण एक भी शब्द प्रकाशित नहीं हो सका। इस समय चौधरी साहब ७४ वर्ष के थे, लेकिन बब्बर शेर से कम नहीं थे।

चरण सिंह अभिलेखागार
www.charansingh.org
info@charansingh.org